

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-421

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

*421 श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाफ्था और डीजल को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग कर रहे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा क्षेत्र-वार कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों में नाफ्था और डीजल की कितनी मात्रा में खपत हुई;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का विचार केरल के कायमकुलम संयंत्र सहित अपने विद्युत संयंत्रों में नाफ्था/डीजल के स्थान पर गैस का उपयोग करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्यों से विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 और चालू वर्ष के दौरान डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों (25 मेगावाट से अधिक) की संस्थापित क्षमता और इनके द्वारा विद्युत उत्पादन का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। ऐसे संयंत्रों द्वारा डीजल की खपत की मात्रा की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नहीं की जाती है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 और चालू वर्ष के दौरान तरल ईंधन पर आधारित गैस टरबाइन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता, विद्युत उत्पादन और इनमें विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाफ्था और डीजल की मात्रा का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में नाफ्था तथा हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का भी प्रयोग किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 और चालू वर्ष के दौरान इन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता, विद्युत उत्पादन और इनसे विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाफ्था और डीजल की मात्रा का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) : एनटीपीसी के 6 (छह) गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन हैं। इनमें से, 5 स्टेशनों में प्राथमिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है और केवल कायमकुलम स्टेशन में प्राथमिक ईंधन के रूप में नाफ्था का इस्तेमाल होता है।

एनटीपीसी अपने कायमकुलम संयंत्र को नाफ्था फायरिंग से बहु-ईंधन फायरिंग (प्राकृतिक गैस सहित) में परिवर्तित कर रहा है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, राज्यों द्वारा अथवा किसी भी विकासकर्ता द्वारा नया गैस आधारित अथवा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय वाले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सीईए की सहमति आवश्यक है।

सीईए को वर्ष 2002-03 से कुल 55900 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 117 जल विद्युत योजनाओं के प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त हुई हैं जिसमें केरल की एक योजना अर्थात् अथिरापिल्ली (163 मेगावाट) शामिल है। परियोजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

इनमें से, केरल की अथिरापिल्ली सहित कुल 38740 मेगावाट की 71 योजनाओं पर सहमति दी गई थी (**अनुबंध-V**) और 7730 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 27 जल विद्युत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सीईए/केन्द्रीय जल आयोग/भारतीय भूवैज्ञानिक-सर्वेक्षण तथा अन्य मूल्यांकनकर्ता एजेंसियों की विभिन्न टिप्पणियों की अनुपालना के बाद पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस लौटा दी गई हैं। ब्यौरा **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

इस समय सीईए में 9430 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 19 जल विद्युत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इनका ब्यौरा **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

अनुबंध-1

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

संस्थापित क्षमता सहित डीजल जेनरेटर आधारित विद्युत संयंत्र (25 मेगावाट से अधिक) तथा चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों में उत्पादन

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (गीगावाट घंटा)			
				2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30 जून, 2014 तक)
केंद्रीय क्षेत्र							
	कुल (केंद्रीय क्षेत्र)		0	0	0	0	0
राज्य क्षेत्र							
1	येलहांका डीजल पावर स्टेशन	कर्नाटक	127.92	415.6	225.4	24.4	0.0
2	ब्रह्मपुरम डीजल पावर स्टेशन	केरल	106.60	57.0	83.5	29.1	0.3
3	कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	केरल	128.00	233.6	446.7	191.8	90.4
4	लीमाखोंग डीजल पावर स्टेशन	मणिपुर	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल (राज्य क्षेत्र)		398.52	706.21	755.54	245.29	90.65
निजी क्षेत्र							
5	एल.वी.एस. डीजल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश	36.80	12.7	0.0	0.0	0.0
6	बेलगॉम डीजल पावर स्टेशन (टाटा)	कर्नाटक	81.30	186.2	84.2	0.0	0.0
7	बेल्लारी डीजल पावर स्टेशन	कर्नाटक	25.20	29.2	10.1	0.0	0.0
8	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	तमिलनाडु	200.00	857.9	611.8	804.3	268.2
9	समलपट्टी गैस पावर स्टेशन	तमिलनाडु	105.66	292.4	328.9	300.8	0.0
10	समयानल्लुर डीजल पावर स्टेशन	तमिलनाडु	106.00	281.9	356.4	346.3	111.3
	कुल (निजी क्षेत्र)		554.96	1660.23	1391.31	1451.39	379.49
	सकल योग		953.48	2366.44	2146.85	1696.68	470.14

अनुबंध-II

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में नाफ्था और डीजल की खपत करने वाले तरल ईंधन आधारित टरबाइन विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की खपत और विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

क्रम सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15 (30 जून, 2014 तक)		
			उत्पादन \$ (मि.यू.)	नाफ्था की खपत (केएल)	डीजल की खपत (केएल)	उत्पादन \$ (मि.यू.)	नाफ्था की खपत (केएल)	डीजल की खपत (केएल)	उत्पादन \$ (मि.यू.)	नाफ्था की खपत (केएल)	डीजल की खपत (केएल)	उत्पादन \$ (मि.यू.)	नाफ्था की खपत (केएल)	डीजल की खपत (केएल)
केंद्रीय														
1	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.), एनटीपीसी, केरल	359.58	706.42	174606.00	246.26	1548.65	386330	182.48	968.53	239799	238.56	415	104205	56.45
2	मैथॉन जीटी (लिक्वि.), डीवीसी, झारखण्ड	90.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (केंद्रीय क्षेत्र)	449.58	706.42	174606.00	246.26	1548.65	386330.00	182.48	968.53	239799.00	238.56	415.00	104205.00	56.45
राज्य														
3	पमपोर जीपीएस (लिक्वि.), जे एण्ड के	175.00	5.41	2221.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.), तमिलनाडु	120.00	29.59	12705.00	89.00	0.42	179	61.68	0.85	388.25	37	2.55	903	148
5	हल्दिया जीटी (लिक्वि.), पश्चिम बंगाल	40.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	कसबा जीटी (लिक्वि.), पश्चिम बंगाल	40.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य क्षेत्र)	375.00	35.00	14926.26	89.00	0.42	179.00	61.68	0.85	388.25	37.00	2.55	903.00	148.00
निजी आईपीपी														
7	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.), रिलायंस, गोवा	48.00	277.09	80068.10	0.00	245.41	73581.36	0	241.32	0	0	12.61	0	0
8	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.), बीएसईएस, केरल	174.00	48.74	8085.07	33.37	135.98	22882.09	52.55	352.21	79786.18	84.11	116.32	26195.43	14.66
	कुल (निजी क्षेत्र)	222.00	325.83	88153.17	33.37	381.39	96463.45	52.55	593.53	79786.18	84.11	128.93	26195.43	14.66
	सकल योग	1046.58	1067.25	277685.43	368.63	1930.46	482972.45	296.71	1562.91	319973.43	359.67	546.48	131303.43	219.11

* 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाओं को मॉनीटर नहीं किया गया है।

\$ अन्य ईंधन सहित उत्पादित कुल विद्युत

एमयू- मिलियन यूनिट केएल-किलो लीटर एमडब्ल्यू-मेगावाट

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों जिन्होंने वैकल्पिक ईंधन के रूप में नाफ्था/डीजल का प्रयोग किया है, का ब्यौरा														
क्रम सं.	विद्युत केंद्र/राज्य का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2011-2012			2012-2013			2013-2014			2014-2015 (30 जून, 2014 तक)		
			उत्पादन* (मि.यू.)	प्रयुक्त वैकल्पिक ईंधन (केएल)		उत्पादन* (मि.यू.)	प्रयुक्त वैकल्पिक ईंधन (केएल)		उत्पादन* (मि.यू.)	प्रयुक्त वैकल्पिक ईंधन (केएल)		उत्पादन* (मि.यू.)	प्रयुक्त वैकल्पिक ईंधन (केएल)	
				नाफ्था	एचएसडी		नाफ्था	एचएसडी		नाफ्था	एचएसडी		नाफ्था	एचएसडी
केंद्रीय क्षेत्र														
1	फरीदाबाद सीसीपीपी, हरियाणा	431.59	3067.72	72.38	15									
2	अंता सीसीपीपी, राजस्थान	419.33	2694.6	883.54	0	2176.45	380.96	0						
3	औरिया सीसीपीपी, उत्तर प्रदेश	663.36	3878.62	262.11	0	2774.82	431.425	0						
4	दादरी सीसीपीपी, उत्तर प्रदेश	829.78	5376.07	0	2.82									
5	कवास सीसीपीपी, गुजरात	656.2	3638.4	277.53	100.81	2900.99	23.89	56.02						
	कुल (सीएस)	3000.26	18655.41	1495.56	118.63	7852.26	836.275	56.02	0	0	0	0	0	
राज्य क्षेत्र														
6	आई.पी. सीसीपीपी, दिल्ली	270	1243.72	0	19.1									
7	रामगढ़ सीसीपीपी, राजस्थान **	113.8	536.79	0	22.82	497.89	0	61.35	673.319	0	34.589			
	कुल (एसएस)	383.8	1780.51	0	41.92	497.89	0	61.35	673.319	0	34.589	0	0	
निजी क्षेत्र														
8	गोदावरी सीसीपीपी, आंध्र प्रदेश	208	1282.46	4165.5	0	1032.98	2417.84	0						
9	पी. नल्लूर सीसीपीपी, तमिलनाडु	330.5	1526.19	177240.5	63	1817.92	268360.81	381	1251.02	306632.43	492	520.29	110877.68	
10	जेगुरुपडु सीसीपीपी, आंध्र प्रदेश	455.4				1689.04	1648.3	0						
11	कोडापल्ली सीसीपीपी, आंध्र प्रदेश	350				1768.38	12141.81	21.18						
	कुल (निजी क्षेत्र)	1343.9	2808.65	181406	63	6308.32	284568.8	402.18	1251.02	306632.4	492	520.29	110877.7	
	सकल योग	4727.96	23244.6	182902	223.55	14658.47	285405	519.55	1924.339	306632.4	526.589	520.29	110877.7	

* उत्पादित विद्युत (एमयू) दोनों विकल्पों ईंधन और गैस (जहां उपलब्ध है) के लिए है।

** 113.8 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त 2012-13 के दौरान 110 मेगावाट तक क्षमता वृद्धि और 2014-15 के दौरान अतिरिक्त 50 मेगावाट वृद्धि

एमयू - मिलियन यूनिट, केएल -- किलो लीटर,

एचएसडी - हाई स्पीड डीजल

अनुबंध-IV

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2002-03 से सीईए में प्राप्त की गई जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	सेवा - II	जे एण्ड के	केंद्रीय	120	सहमति दी गई
2	उरी - II	जे एण्ड के	केंद्रीय	240	सहमति दी गई
3	निम्मो बाजगो	जे एण्ड के	केंद्रीय	45	सहमति दी गई
4	चूटक	जे एण्ड के	केंद्रीय	44	सहमति दी गई
5	किशन गंगा \$	जे एण्ड के	केंद्रीय	330	सहमति दी गई
6	पकलदुल	जे एण्ड के	केंद्रीय	1000	सहमति दी गई
7	बगलीहार-II	जे एण्ड के	राज्य	450	सहमति दी गई
8	रत्ले	जे एण्ड के	निजी	850	सहमति दी गई
9	न्यू गंदरवाल	जे एण्ड के	राज्य	93	सहमति दी गई
10	किरू	जे एण्ड के	राज्य(जेवी)	660	परीक्षणाधीन
11	किरथई-I	जे एण्ड के	राज्य	390	परीक्षणाधीन
12	स्वालकोट	जे एण्ड के	राज्य	1856	परीक्षणाधीन
13	क्वार	जे एण्ड के	राज्य	560	परीक्षणाधीन
14	किरथई-II	जे एण्ड के	राज्य	990	वापस की गई
15	कोल डैम	एच.पी.	केंद्रीय	800	सहमति दी गई
16	अलियन दुहागन	एच.पी.	निजी	192	सहमति दी गई
17	उहल स्टेज-III	एच.पी.	राज्य	100	सहमति दी गई
18	करछम वांगटू	एच.पी.	निजी	1000	सहमति दी गई
19	चमेरा-III	एच.पी.	केंद्रीय	231	सहमति दी गई
20	पारबती -III	एच.पी.	केंद्रीय	520	सहमति दी गई
21	रामपुर	एच.पी.	केंद्रीय	412	सहमति दी गई
22	कुटेहर	एच.पी.	निजी	240	सहमति दी गई
23	सैंज	एच.पी.	राज्य	100	सहमति दी गई
24	बजोली होली	एच.पी.	निजी	180	सहमति दी गई
25	शौंगटोंग करछम	एच.पी.	राज्य	450	सहमति दी गई
26	मियार	एच.पी.	निजी	120	सहमति दी गई
27	चांगो यांगथांग	एच.पी.	निजी	180	सहमति दी गई
28	सेली	एच.पी.	निजी	400	परीक्षणाधीन
29	छतरू	एच.पी.	निजी	126	परीक्षणाधीन
30	सच खास	एच.पी.	निजी	267	परीक्षणाधीन
31	लुहरी	एच.पी.	केंद्रीय	601	परीक्षणाधीन
32	एकीकृत कशांग स्टेज-I	एच.पी.	राज्य	130	वापस की गई
33	बारा भंघाल	एच.पी.	निजी	200	वापस की गई
34	लोहरी नागपाला	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	600	सहमति दी गई
35	तपोवन विष्णुगाड	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	520	सहमति दी गई
36	लता तोपवन	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	171	सहमति दी गई
37	विष्णुगाड पीपलकोटि	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	444	सहमति दी गई

38	कोटलीभेल स्टेज-1ए	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	195	सहमति दी गई
39	कोटलीभेल स्टेज-1बी	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	320	सहमति दी गई
40	कोटलीभेल स्टेज-11	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	530	सहमति दी गई
41	पाला मनेरी	उत्तराखण्ड	राज्य	480	सहमति दी गई
42	सिंगोली भलवारी	उत्तराखण्ड	निजी	99	सहमति दी गई
43	अलकनंदा	उत्तराखण्ड	निजी	300	सहमति दी गई
44	रूपसिया-बगर खसियाबाड़ा	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	261	सहमति दी गई
45	व्यासी	उत्तराखण्ड	राज्य	120	सहमति दी गई
46	देवसरी	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	252	सहमति दी गई
47	जेलम टमक	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	108	परीक्षणाधीन
48	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखण्ड	राज्य	300	परीक्षणाधीन
49	भैरो घाटी स्टेट	उत्तराखण्ड	राज्य	381	वापस की गई
50	मोरी हनल	उत्तराखण्ड	निजी	63	वापस की गई
51	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	निजी	146	वापस की गई
52	ट्यूनी प्लासू	उत्तराखण्ड	राज्य	72	वापस की गई
53	नंद प्रयास लंगासू	उत्तराखण्ड	राज्य	100	वापस की गई
54	सोन	एम.पी.	राज्य	100	वापस की गई
55	मतनार	छत्तीसगढ़	राज्य	60	सहमति दी गई
56	डगमारा	बिहार	राज्य	130	परीक्षणाधीन
57	तीस्ता लो डैम-III	डब्ल्यू.बी.	केंद्रीय	132	सहमति दी गई
58	तीस्ता लो डैम-IV	डब्ल्यू.बी.	केंद्रीय	160	सहमति दी गई
59	रमाम स्टेज-III	डब्ल्यू.बी.	केंद्रीय	120	सहमति दी गई
60	जलापुट डैम टोई	ओडिशा	निजी	18	सहमति दी गई
61	तीस्ता-III	सिक्किम	निजी	1200	सहमति दी गई
62	तीस्ता स्टेज-VI	सिक्किम	निजी	500	सहमति दी गई
63	रंगित स्टेज-IV	सिक्किम	निजी	120	सहमति दी गई
64	तीस्ता स्टेज-IV	सिक्किम	केंद्रीय	520	सहमति दी गई
65	पनन	सिक्किम	निजी	300	सहमति दी गई
66	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	निजी	480	वापस की गई
67	लेथांग एचईपी	सिक्किम	निजी	96	वापस की गई
68	अथीरापिल्ली	केरल	राज्य	163	सहमति दी गई
69	लोअर जुराला	ए.पी.	राज्य	240	सहमति दी गई
70	इंदिरासागर (पोलावरन)	ए.पी.	राज्य	960	सहमति दी गई
71	डुम्मूगुडेम	ए.पी.	राज्य	320	वापस की गई
72	गुडिया	कर्नाटक	राज्य	200	सहमति दी गई
73	शिवासमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345	वापस की गई
74	महादाई	कर्नाटक	राज्य	320	वापस की गई
75	कुंडहा	तमिलनाडु	राज्य	500	वापस की गई
76	तिपाईमुख	मणिपुर	केंद्रीय	1500	सहमति दी गई
77	लोकटक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	केंद्रीय	66	सहमति दी गई
78	लोअर कोपिली	असम	राज्य	120	परीक्षणाधीन
79	करबी लंगपी	असम	राज्य	60	वापस की गई
80	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	2000	सहमति दी गई
81	पारे	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	110	सहमति दी गई
82	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	3000	सहमति दी गई

83	डेम्बे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1750	सहमति दी गई
84	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	120	सहमति दी गई
85	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	2700	सहमति दी गई
86	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	120	सहमति दी गई
87	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	780	सहमति दी गई
88	तवांग स्टेज-I	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	600	सहमति दी गई
89	तवांग स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	800	सहमति दी गई
90	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	700	सहमति दी गई
91	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	144	सहमति दी गई
92	हीरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	500	सहमति दी गई
93	इटालियन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	3097	सहमति दी गई
94	टलॉग लोंडा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	225	सहमति दी गई
95	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000	सहमति दी गई
96	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000	सहमति दी गई
97	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200	सहमति दी गई
98	डेम्बे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1080	परीक्षाधीन
99	न्यूकचरोंग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96	परीक्षाधीन
100	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186	परीक्षाधीन
101	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240	परीक्षाधीन
102	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800	परीक्षाधीन
103	रंगानदी स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	130	वापस की गई
104	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	84	वापस की गई
105	हुटोंग-II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200	वापस की गई
106	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1352	वापस की गई
107	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90	वापस की गई
108	सिस्सरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	100	वापस की गई
109	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80	वापस की गई
110	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	141	वापस की गई
111	खंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80	वापस की गई
112	टगरुशिट	अरुणाचल प्रदेश	निजी	74	वापस की गई
113	मागोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96	वापस की गई
114	किंशी-I	मेघालय	निजी	270	परीक्षाधीन
115	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	240	परीक्षाधीन
116	कोलोडाइन स्टेज-II	मिजोरम	केंद्रीय	460	सहमति दी गई
117	दिखू	नागालैंड	निजी	186	सहमति दी गई
	कुल			55900	

अनुबंध-V

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए द्वारा सहमति दी गई/मूल्यांकित जल विद्युत योजनाओं का ब्यौरा (2002-03 से)

क्रम सं.	स्कीम	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		अनुमानित लागत (₹. करोड़ में) पीएन	सीईए द्वारा सहमति की तिथि
उत्तरी क्षेत्र						
उत्तराखण्ड						
1	लोहरी नागपाला	केंद्रीय	4x150	600	2417.78 (3/2004)	11.08.04
2	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	4x130	520	2545.53 (3/2004)	11.08.04
3	लता तपोवन	केंद्रीय	3x57	171	792.00 (10/2005)	08.02.06
4	विष्णुगाड पीपलकोटि	केंद्रीय	4x111	444	2091.45 (03/2006)	21.09.06
5	कोटलीभेल स्टेज- Iए	केंद्रीय	3x65	195	1095.77 (12/2005)	03.10.06
6	कोटलीभेल स्टेज- Iबी	केंद्रीय	4x80	320	1806.43 (12/2005)	31.10.06
7	कोटलीभेल स्टेज- II	केंद्रीय	8x66.25	530	2535.86 (03/2006)	30.11.06
8	पाला मनेरी	राज्य	4x120	480	1922.80 (12/2006)	23.02.07
9	सिंगोली भटवारी	निजी	3x33	99	666.47 *	11.07.08
10	अलकनंदा	निजी	3x100	300	1415.96*	08.8.08
11	रूपसिय-बगर खसियाबाड़ा	केंद्रीय	3x87	261	1715.15 (05/2008)	16.10.08
12	देवसरी	केंद्रीय	3x84	252	1185.76 (06/10)	7.8.2012
13	व्यासी	राज्य	2x60	120	936.23 (02/2010)	25.10.11
उप-जोड़				4292		
जे एण्ड के						
14	सेवा - II	केंद्रीय	3x40	120	675.25 (9/2002)	18.10.02
15	उरी - II	केंद्रीय	4x60	240	1695.73 (7/2003)	11.02.04
16	निम्मो बाजगो	केंद्रीय	3x15	45	631.54 (9/2003)	16.03.04
17	चूटक	केंद्रीय	4x11	44	655.65 (12/2003)	23.04.04
18	किशन गंगा	केंद्रीय	3x110	330	2624.36 (6/2005)	31.08.05
19	पकलदुल	केंद्रीय	4x250	1000	5088.88 (07/2005)	03.10.06
20	बगलीहार-II	राज्य	3x150	450	2113.09 (12/2009)	29.12.10
21	रत्ले	निजी	(4x205+1x30)	850	5517.02*	19.12.12
22	न्यू गंदरवाल	राज्य	3x31	93	965.86 (01/ 2014)	10.06.14
उप-जोड़				3172		
हिमाचल प्रदेश						

23	कोल डैम	केंद्रीय	4x200	800	5299.52	30.06.02
24	अलियन दुहागन	निजी	2x96	192	922.355*	20.08.02
25	उहल स्टेज-III	राज्य	2x50	100	431.56 (9/2002)	19.09.02
26	करछम वांगटू	निजी	4x250	1000	5909.59 *	31.03.03
27	चमेरा-III	केंद्रीय	3x77	231	1364.01 (4/2003)	10.10.03
28	पारबती -III	केंद्रीय	4x130	520	2228.41 (7/2003)	12.11.03
29	रामपुर	केंद्रीय	6x68.67	412	1984.18	16.12.05
30	कुटेहर	निजी	3x80	240	1798.13*	31.8.10
31	सैज	राज्य	2x50	100	676.29 (06/2009)	29.12.10
32	बजोली होली	निजी	3x60	180	1696.93	30.12.11
33	शौंगटोंग करछम	राज्य	3x150	450	2807.83 (07/11)	16.8.12
34	मियार	निजी	3x40	120	1125.16*	07.02.13
35	चांगो यांगथांग	निजी	3x60	180	2077.29*	31.03.14
उप-जोड़				4525		
पश्चिमी क्षेत्र						
छत्तीसगढ़						
36	मतनार	राज्य	3x20	60	313.35 (3/2004)	19.08.04
उप-जोड़				60		
पूर्वी क्षेत्र						
पश्चिम बंगाल						
37	तीस्ता लो डैम -III	केंद्रीय	4x33	132	782.82 (4/2002)	28.11.02
38	तीस्ता लो डैम -IV	केंद्रीय	4x40	160	998.36 (8/2003)	23.12.03
39	रमाम स्टेज-III	केंद्रीय	3x40	120	633.92 (02/2006)	12.09.06
उप-जोड़				412		
पूर्वी क्षेत्र						
सिक्किम						
40	तीस्ता-III	निजी	6x200	1200	5705.55*	12.05.06
41	तीस्ता स्टेज-VI	निजी	4x125	500	3283.08*	27.12.06
42	रंगित स्टेज-IV	निजी	3x40	120	726.16*	06.07.07
43	तीस्ता स्टेज-IV	केंद्रीय	4x130	520	3594.74 (07/2009)	13.05.10
44	पनन	निजी	4x75	300	1833.05*	07.03.11
उप-जोड़				2640		
दक्षिणी क्षेत्र						
केरल						
45	अथीरापिल्ली	राज्य	2x80+2x1.5	163	385.63 (2004-05)	31.03.05
उप-जोड़				163		
आंध्र प्रदेश						
46	लोअर जुराला	राज्य	6x40	240	908.34 (05/2007)	24.07.07
47	इंदिरासागर (पोलावरम)	राज्य	12x80	960	3013.68 (2110-11)	21.02.12
उप-जोड़				1200		
कर्नाटक						

48	गुंडिया	राज्य	1x200	200	1119.56 (11/2007)	25.04.08
	उप-जोड़			200		
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
अरुणाचल प्रदेश						
49	सुबानसिरी लोअर	केंद्रीय	8x250	2000	6608.68 (12/2002)	13.01.03
50	पारे	केंद्रीय	2x55	110	553.25 (6/2007)	24.09.07
51	दिबांग	केंद्रीय	12x250	3000	15886.39 (11/2007)	23.01.08
52	जलापुट डैम टोई	निजी	3x6	18	69.68 *	31.01.03
53	डेम्चे लोअर	निजी	5x342+1x40	1750	13144.91*	20.11.09
54	डिबिन	निजी	2x60	120	728.54 *	04.12.09
55	लोअर सियांग	निजी	9x300	2700	19990.74*	16.02.10
56	नाफ्रा	निजी	2x60	120	848.22 *	11.02.11
57	न्यामजंग छू	निजी	6x130	780	6115.6*	24.03.11
58	तवांग स्टेज-I	केंद्रीय	3x200	600	4824.01 (5/2010)	10.10.11
59	तवांग स्टेज-II	केंद्रीय	4x200	800	6112.3 (5/2010)	22.09.11
60	टाटो-II	निजी	4x175	700	5616.20*	22.5.12
61	गोंगरी	निजी	2x72	144	1436.27*	04.02.13
62	हीरोंग	निजी	4x125	500	5532.63*	10.04.13
63	इटालियन	निजी	10x307+1x19.6 +1x7.4	3097	25296.95*	12.07.13
64	टलोंग लोंडा	निजी	3x75	225	2172.88*	16.08.13
65	नेइंग	निजी	4x250	1000	9301.11*	11.09.13
66	सियोम	निजी	6x166.7	1000	12100*	17.12.13
67	कलाई-II	निजी	5x190+1x190+1 x60	1200	7151.86 (01/2012)	08.01.14 @
	उप-जोड़			19864		
मिजोरम						
68	कोलोडाइन स्टेज-II	केंद्रीय	4x115	460	5188.13 (10/2010)	14.09.11
	उप-जोड़			460		
मणिपुर						
69	तिपाईमुख	केंद्रीय	6x250	1500	5163.86 (12/2002)	02.07.03
70	लोकटक डाउनस्ट्रीम	केंद्रीय	2x33	66	867.77 (10/2006)	15.11.06
	उप-जोड़			1566		
नागालैंड						
71	दिखू	निजी	3x62	186	1994.74*	31.03.14
	उप-जोड़			186		
	अखिल भारत कुल			38740		

(@)- सहमति बैठक 08.01.2014 को हुई। दिनांक 02.09.2007 के एमओए के पुनःवैधीकरण तथा मैसर्स केपीपीएल की इन्विटी भागीदारी तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार से पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सहमति पत्र अभी जारी किया जाना है।

* पूर्णता लागत

अनुबंध-VI

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पुनः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकरण को वापस की गई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा - (वर्ष 2002-03 से)

1	किरथई-II	जे एण्ड के	राज्य	990
2	भैरो घाटी स्टेट	उत्तराखण्ड	राज्य	381
3	मोरी हनल	उत्तराखण्ड	निजी	63
4	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	निजी	146
5	ट्यूनी प्लासू	उत्तराखण्ड	राज्य	72
6	नंद प्रयास लंगासू	उत्तराखण्ड	राज्य	100
7	एकीकृत कशांग स्टेज-I	हिमाचल प्रदेश	राज्य	130
8	बारा बंधाल	हिमाचल प्रदेश	निजी	200
9	सोन	मध्य प्रदेश	राज्य	100
10	शिवासमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345
11	महादाई	कर्नाटक	राज्य	320
12	कुंडहा	तमिलनाडु	राज्य	500
13	डुम्मगुडेम	आंध्र प्रदेश	राज्य	320
14	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	निजी	480
15	लेथांग एचईपी	सिक्किम	निजी	96
16	करबी लांगपी	असम	राज्य	60
17	रंगानदी स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	130
18	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	84
19	हुटोंग-II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200
20	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1352
21	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90
22	सिस्सरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	100
23	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
24	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	141
22	खंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
26	टगरुशिट	अरुणाचल प्रदेश	निजी	74
27	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
	कुल			7730

अनुबंध-VII

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 421 के विवरण के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए में परीक्षणाधीन जल विद्युत स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	सेली	एचपी	निजी	400
2	डगमारा	बिहार	राज्य	130
3	छतरू	एचपी	निजी	126
4	डेम्वे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1080
5	किरू	जे एण्ड के	राज्य (जेवी)	660
6	जेलम टमक	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	108
7	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखण्ड	राज्य	300
8	सच खास	एचपी	निजी	267
9	न्यूकचरोंग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
10	किंशी-1	मेघालय	निजी	270
11	लुहरी	एचपी	केंद्रीय	601
12	किरथई-1	जे एण्ड के	राज्य	390
13	लोअर कोपिली	असम	राज्य	120
14	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	240
15	टाटो-1	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186
16	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240
17	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800
18	स्वालकोट	जे एण्ड के	राज्य	1856
19	क्वार	जे एण्ड के	राज्य	560
	कुल			9430

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-424

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

*424. श्री सतीश चंद्र दुबे:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, विभिन्न राज्यों को आबंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उप केन्द्रों का निर्माण/उनका कार्य पूरा न होने के कारण बिहार सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में गांवों में विद्युतीकरण का कार्य रुका हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) बारहवीं योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का विचार है; और
- (घ) सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 424 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 273 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। मंजूर की गई परियोजनाओं, आवंटित निधियों तथा जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के चरण-1 में मंजूर किए गए 669 उपकेंद्रों में से 101 उपकेंद्रों को चालू नहीं किया गया है, अतः इन राज्यों के अधिसंख्य गांवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चालू न किए गए उपकेंद्रों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश (6), असम (4), बिहार (16), छत्तीसगढ़ (3), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू व कश्मीर (10), झारखण्ड (23), मणिपुर (11), मेघालय (3), मिजोरम (1), नागालैंड (6), ओडिशा (8), उत्तर प्रदेश (4) तथा पश्चिम बंगाल (5)। ये उपकेंद्र मुख्य रूप से भूमि संबंधी मुकदमेबाजी, वन स्वीकृति, कठिन क्षेत्र, फीडर कार्यों के पूरा न होने, अधूरे अपस्ट्रीम नेटवर्क, पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व व्यवस्था संबंधी मुद्दों आदि के कारण चालू नहीं किए जा सके।

(ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना में आरजीजीवीवाई की स्वीकृत 273 परियोजनाओं के अंतर्गत 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना शामिल है।

(घ) : गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा 13वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को जारी रखा गया है, जिसमें 100 से अधिक जनसंख्या वाले सभी जनगणना गांवों और वासस्थलों को शामिल किया गया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण-कार्यों को पूरा करने की निर्धारित अवधि संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संविदा सौंपे जाने की तिथि से 24 माह है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 424 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्वीकृत परियोजना लागत सहित गैर-विद्युतीकृत गांवों, विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने संबंधी राज्य-वार ब्यौरा							
क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल घर	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	जारी की गई सब्सिडी
1	असम	16	1009	10259	541953	1621.07	12वीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अभी सब्सिडी का दावा करना है।
2	बिहार	27	6882	21377	5442691	5220.65	
3	छत्तीसगढ़	4	0	3240	63828	285.61	
4	जम्मू व कश्मीर	3	45	352	26233	101.28	
5	झारखण्ड	17	125	18308	471972	1260.93	
6	कर्नाटक	9	0	9210	116861	98.20	
7	मध्य प्रदेश	34	221	25832	863360	1403.15	
8	मणिपुर	6	136	1721	36362	204.73	
9	मिजोरम	8	0	0	0	77.03	
10	नागालैंड	11	1	199	39314	92.31	
11	ओडिशा	31	3144	41018	1668454	3550.77	
12	राजस्थान	28	0	25397	443757	1453.91	
13	त्रिपुरा	8	26	778	89604	316.23	
14	उत्तर प्रदेश	64	868	68549	3264185	7282.81	
15	पश्चिम बंगाल	7	11	5695	251488	609.61	
	कुल	273	12468	231935	13320062	23578.29	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-433

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति

*433. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बड़ी संख्या में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और उनके पास चार दिन से भी कम कोयले का भण्डार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) ऐसे संयंत्रों के नाम क्या हैं और उन्हें कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा गत छह महीनों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन्हें वास्तव में कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;
- (ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति की व्यापक समीक्षा करने हेतु कोई अन्तर-मंत्रालयीय उपसमूह गठित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उपसमूह द्वारा तब से लेकर अब तक कार्यचालन संबंधी क्या निर्णय लिए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दिनांक 30 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों में से 23 विद्युत संयंत्र ऐसे हैं जिनके पास 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। इन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न **अनुबंध-I** में है। विद्युत संयंत्रों में कोयले का कम स्टॉक होने के कारण अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं-

- (i) कम मानसून के कारण जल विद्युत उत्पादन काफी कम हो गया है, इस प्रकार कोयला आधारित केन्द्रों से बढ़ाकर उत्पादन करना अपेक्षित हो गया है। इसके कारण, कोयले की मांग में वृद्धि हुई है। जून, 2014 के दौरान, पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में कोयला आधारित उत्पादन में 20.35% की रिकार्ड वृद्धि दर थी।
- (ii) कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों से कोयले की आपूर्ति में, राज्य स्तर पर कानून एवं व्यवस्था, परिवहन की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण कठिनाईयाँ सामने आईं।

(ख): पिछले 6 माह अर्थात् जनवरी से जून, 2014 के दौरान उपर्युक्त विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए गए कोयले और संविदागत कोयले की मात्रा (यथानुपात) का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): विद्युत संयंत्रों आदि में कोयले के साप्ताहिक उत्पादन, प्रेषण और कोयले के स्टॉक की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह गठित किया गया है जिसमें कोयला, विद्युत तथा रेल मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा अन्य पणधारी शामिल हैं।

अंतर-मंत्रालयी उप-समूह की बैठक में लिए गए प्रचालनात्मक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

1. कोयला कंपनी वार रेल के साथ-साथ एमजीआर (मेरी-गो-राउण्ड) औसत लोडिंग की समीक्षा की गई और मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए निर्णय लिए गए ताकि विद्युत क्षेत्र के लिए लोडिंग में वृद्धि की जा सके।
2. जिन कोयला कंपनियों में औसत लोडिंग कम थी, उन्हें लोडिंग में वृद्धि करने के लिए निर्देश दिए गए।
3. जिन विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति क्रिटिकल/सुपर-क्रिटिकल है, उनके संबंध में विचार-विमर्श किया गया और रेल मंत्रालय को सलाह दी गई कि जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त रैक उपलब्ध कराएं।
4. हड़ताल, बंद अथवा प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में, इस उप-समूह द्वारा आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गईं और उनकी निगरानी की गई।

"विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वे ताप विद्युत संयंत्र जिनके पास 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है (30 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार)।

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	कोयला स्टॉक		
			000 टन में		
			आयात	स्वदेशी	कुल
1	इंदिरा गांधी	1500	14	26.63	40.97
2	राजपुरा	1400	3	4.86	7.54
3	रिहंद	3000	6	41.97	48.23
4	सिंगरौली	2000	0	74.36	74.36
5	अनपरा सी	1200	0	19.73	19.73
6	कोरबा-II	440	0	18.36	18.36
7	कोरबा एसटीपीएस	2600	58	17.36	75.53
8	सिपत	2980	11	66.59	77.19
9	अमरकंटक एक्सटें.	450	0	6.1	6.1
10	विंध्याचल	4260	1	42.51	43.86
11	बीना	500	0	0	0
12	खापरखेड़ा	1340	10	11.9	22.34
13	मौदा	1000	0	52.16	52.16
14	डॉ. एन. टाटा राव	1760	4	11.16	14.94
15	रायलसीमा	1050	15	11.15	25.75
16	सिम्हाद्री	2000	0	12.48	12.54
17	रामागुन्डम एसटीपीएस	2600	0	22.53	22.53
18	रायचूर	1720	0	53.6	53.6
19	मुजफ्फरपुर	220	0	1.36	1.36
20	बोकारो 'बी'	630	0	0	0
21	स्टरलाइट	2400	0	37.62	37.62
22	मेजिया	2340	0	53.36	53.36
23	कोलाघाट	1260	0	57.96	57.96
	कुल	38650			

"विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 6 माह (जनवरी - जून 2014) के दौरान (30 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार) ऐसे ताप विद्युत संयंत्र जिनके पास कोयले का स्टॉक 4 दिन से कम है, के लिए कोयले की आपूर्ति की स्थिति

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	संविदागत मात्रा (यथानुपात) (हजार टन)	सीआईएल/एससीसीएल द्वारा आपूर्ति किया गया कोयला (हजार टन)
1	इंदिरा गांधी	1500	3129	1313
2	राजपुरा #	1400	694	480
3	रिहंद	3000	7348	7078
4	सिंगरौली	2000	5830	5412
5	अनपारा सी	1200	2216	2033
6	कोरबा-II	440	1378	1350
7	कोरबा एसटीपीएस	2600	7691	7656
8	सिपत	2980	7927	5649
9	अमरकंटक एक्सटें.	450	1060	891
10	विंध्याचल	4260	10806	10760
11	बीना	500	752	488
12	खापरखेड़ा	1340	3875	2328
13	मौदा#	1000	577	578
14	डॉ. एन. टाटा राव	1760	4405	1843
15	रायल सीमा	1050	3052	2356
16	सिम्हाद्री	2000	5206	3086
17	रामागुन्डम एसटीपीएस	2600	5936	6635
18	रायचूर	1720	4309	3418
19	मुजफ्फरपुर	220	615	279
20	बोकारो 'बी'	630	1590	690
21	स्टरलाइट	2400	2998	2261
22	मेजिया	2340	2968	4006
23	कोलाघाट	1260	2809	1876
	कुल	38650	87172	72466

नए संयंत्र, इसलिए आवश्यकता और आपूर्ति अप्रैल से जून, 2014 के लिए है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-438

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स

*438. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कर्नाटक सहित देश में प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस प्रयोजनार्थ संयंत्र-वार कोयले की अनुमानित: कितनी मात्रा में आवश्यकता है और कोयले की नियमित आपूर्ति किस प्रकार की जाएगी; और
- (ग) इन संयंत्रों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु संयंत्र-वार किन-किन संसाधनों को जुटाया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 438 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी द्वारा प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं

(ख) : इस कार्य के लिए अपेक्षित कोयले की अनुमानित मात्रा और कोयले की नियमित आपूर्ति पूरी किए जाने की पद्धति के संयंत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं ।

(ग) : मुख्य संयंत्र उपस्करों के लिए ठेकेदारों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं ।

परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु संसाधनों के संबंध में, एनटीपीसी अपने पूंजीगत व्यय का वित्त-पोषण 70:30 (ऋण:इक्विटी) के अनुपात में करता है। इक्विटी की व्यवस्था आंतरिक संग्रहण के माध्यम से की जाती है । ऋण की उगाही, प्रत्येक परियोजना के लिए इसकी उगाही करने के बजाए कंपनी के तुलन-पत्र के आधार पर की जाती है, अतएव ऋण का परियोजना-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

"सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 438 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान एनटीपीसी की प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल यूनिटें

1. वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	सीपत-1	छत्तीसगढ़	कोयला	1980

2. निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	बाढ़-1	बिहार	कोयला	1980
2	बाढ़-11	बिहार	कोयला	1320*
3	लारा-1	छत्तीसगढ़	कोयला	1600
4	कुडगी-1	कर्नाटक	कोयला	2400
5	गदरवारा	मध्य प्रदेश	कोयला	1600
6	मौदा-11	महाराष्ट्र	कोयला	1320
7	सोलापुर	महाराष्ट्र	कोयला	1320
8	नॉर्थ करणपुरा	झारखण्ड	कोयला	1980
9	दार्लीपल्ली	ओडिशा	कोयला	1600
				15120

* 660 मेगावाट की एक यूनिट पहले ही चालू की जा चुकी है।

"सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 438 के विवरण के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनटीपीसी की सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं के लिए कोयला संबंधी व्यवस्था का विवरण

क्रम सं.	परियोजना	राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	कोयला आवश्यकता (एमएमटीपीए)	एलओए एमएमटीपीए/	कोयला कंपनी
हस्ताक्षरित ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) यूनिट-वार						
1.	सीपत - I	छत्तीसगढ़	1980	9.9	9.15	एसईसीएल
2.	बाढ़-I	बिहार	660	3.3	3.33	सीसीएल
कोयला लिंकेज उपलब्ध है लेकिन एफएसए अभी हस्ताक्षरित किया जाना है						
3.	बाढ़-I, यूनिट 2 व 3	बिहार	1320	6.6	6.66	सीसीएल
4.	मौदा-II	महाराष्ट्र	1320	6.6	5.09	एमसीएल
5.	सोलापुर	महाराष्ट्र	1320	6.6	5.09	एमसीएल
6.	नॉर्थ करणपुरा	झारखण्ड	1980	9.9	7.04	सीसीएल
कैप्टिव ब्लॉक से कोयला						
7.	बाढ़-II	बिहार	1320	6.6	-	कैप्टिव
8.	लारा-I	छत्तीसगढ़	1600	8	-	कैप्टिव
9.	कुडगी-I	कर्नाटक	2400	12	-	कैप्टिव
10.	गदरवारा	मध्य प्रदेश	1600	8	-	कैप्टिव
11.	दार्लीपल्ली	ओडिशा	1600	8	-	कैप्टिव

"सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 438 के विवरण के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनटीपीसी की निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं के लिए नियुक्त प्रमुख ठेकेदारों की सूची

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	मुख्य संयंत्र उपस्करों के लिए आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार का नाम
1	बाढ़-I	बिहार	1980	एसजी- मैसर्स टेक्नोप्रॉमेक्सपोर्ट, रूस टीजी- मैसर्स ओजेएससी पावर मशीन, रूस
2	बाढ़-II	बिहार	1320*	एसजी- मैसर्स भेल टीजीमैसर्स भेल -
3	लारा-I	छत्तीसगढ़	1600	एसजी- मैसर्स दूषण चेन्नई वर्क्स, चेन्नई टीजी- मैसर्स बीजीआर एनर्जी
4	कुडगी-I	कर्नाटक	2400	एसजी- मैसर्स दूषण चेन्नई वर्क्स, चेन्नई टीजी- मैसर्स तोशीबा जेएसडब्ल्यू टरबाइन एण्ड जेनरेटर, चेन्नई
5	गदरवारा	मध्य प्रदेश	1600	एसजी- मैसर्स भेल टीजीमैसर्स भेल -
6	मौदा-II	महाराष्ट्र	1320	एसजी- मैसर्स भेल टीजीमैसर्स भेल -
7	सोलापुर	महाराष्ट्र	1320	एसजी- मैसर्स बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, चेन्नई टीजी- मैसर्स एल्सटोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड, नई दिल्ली
8	नॉर्थ करणपुरा	झारखण्ड	1980	ईपीसी पैकेज - भेल
9	दार्लीपल्ली	ओडिशा	1600	एसजी- मैसर्स भेल टीजी- मैसर्स तोशीबा जेएसडब्ल्यू टरबाइन एण्ड जेनरेटर, चेन्नई
	कुल		15120	

* एक यूनिट पहले ही चालू की जा चुकी है।

एसजी - स्टीम जेनरेटर पैकेज, टीजी - टरबाइन जेनरेटर पैकेज

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-439

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

*439. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों की अनेक विद्युत परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा निर्माण के लिए कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है;
- (ग) क्या सरकार को विद्युत उत्पादक संघ से निजी क्षेत्र की लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और
- (ङ) सरकार द्वारा सभी विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"लम्बित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : चल रही जिन ताप विद्युत परियोजनाओं (क्षेत्र-वार) पर समय और लागत अधिक आई है, उनके ब्यौरे तथा उसके कारण अनुबंध-I में दिए गए हैं।

चल रही जिन जल विद्युत परियोजनाओं (क्षेत्र-वार) पर समय और लागत अधिक आई है, उनके ब्यौरे तथा उसके कारण अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को विद्युत उत्पादक संघ (एपीपी) से समय-समय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय के साथ 20.06.2014 को आयोजित बैठक में, एपीपी ने निजी क्षेत्र परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।

उन निजी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियों का मुद्दा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया गया है ताकि लंबित मामलों का समाधान हो सके और शीघ्र स्वीकृतियां मिल सकें।

(ङ) : विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) कार्यस्थलों के बार-बार दौरों तथा विकासकर्ताओं एवं उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीईए परियोजनाओं को चालू किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और उनके समाधान में सहायता करता है।

2. 12वीं योजना के दौरान और उससे आगे चालू किए जाने के लक्ष्य वाली ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की और उनसे संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्वतंत्र निगरानी करने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) गठित किया गया है।

3. समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और बकाया मुद्दों के शीघ्रता से समाधान को सुकर बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय एवं योजना आयोग सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

"लंबित विद्युत परियोजनाओं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 439 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उन थर्मल पावर परियोजनाओं का ब्यौरा जो अपने शुरू होने के निर्धारित समय से पीछे हैं और उनके कारण सहित

राज्य	परियोजना का नाम	इकाई सं.	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का संशोधित कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह में)	मूल लागत (रूपए करोड़ में)	नवीनतम लागत (रूपए करोड़ में)	बढ़ी हुई लागत (रूपए करोड़ में)	व्यय (रूपए करोड़ में)	विलंब के कारण
	केन्द्रीय क्षेत्र										
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-1	250	जनवरी-11	मार्च-15	50	4375.35	4375.35	0	4575	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य रूक गया।
		यू-2	250	मई-11	मार्च-16	58					
		यू-3	250	सितंबर-11	अगस्त-16	60					
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अक्टूबर-13 *	नवंबर-15	25	8693	8693	0	10086	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के विवाद के कारण विलंब। तथापि, इसका समाधान कर दिया गया है। विवादों के निपटारे के पश्चात मैसर्स टीपीई और पावर मशीन, रूस के साथ संशोधित समय सूची निर्धारित की गई। मैसर्स टीपीई और मैसर्स पीएम द्वारा बायलर और टरबाइन सामग्री की आपूर्ति में विलंब और कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विलंब।
		यू-2	660	अप्रैल-14 *	जुलाई-16	27					
		यू-3	660	अक्टूबर-14 *	मार्च-17	29					
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-5	660	अक्टूबर-13	मार्च-15	17	7341.04	7341.04	0	7658	सीएचपी की तैयारी और टी-23 वैल्विंग ज्वांट्स को पूरा करने में विलंब।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.(कान्ती टीपीपी स्टे.-II)	यू-3	195	अक्टूबर-12	मार्च-15	29	3154.33	3154.33	0	1801.98	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य अवाई करने में विलंब। सिविल कार्यों को पूरा करने में विलंब। भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा राइट ऑफ एप्रोच (आरओए) की उपलब्धता में विलंब। सीएचपी की तैयारी और स्टार्ट अप विद्युत उपलब्धता में विलंब।
		यू-4	195	जनवरी-13	जून-15	29					
बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	मई-13	मार्च-15	22	5352.51	5352.51	0	3835.82	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल

		यू-2	250	सितंबर-13	सितंबर-15	24					एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा कमजोर गतिशीलता जिससे भेल द्वारा निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन।
		यू-3	250	जनवरी-14	मार्च-16	26					
		यू-4	250	मई-14	सितंबर-16	28					
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपें.	यू-1	500	दिसंबर-11	मार्च-15	39	2313	3552.18	1239.18	2380.8	स्विचयार्ड(प्रभारित) के हस्तांतरण में विलंब। वर्तमान भूमिगत सुविधाओं को हटाने में विलंब। मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। सीएचपी में विलंब।
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800	दिसंबर-15	मई-16	5	15166.19	15166.19	0	4520	मैसर्स दूसन द्वारा एसजी सिविल कार्यों के अवाई में विलंब। मैसर्स सिम्प्लेक्स द्वारा टीजी इरेक्शन में विलंब।
		यू-2	800	जून-16	नवंबर-16	5					
		यू-3	800	दिसंबर-16	मई-17	5					
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी चरण-II	यू-3	660	मार्च-16	मई-16	2	7921.47	7921.47	0	2693	बायलर इरेक्शन एजेंसी के अवाई में विलंब।
		यू-4	660	सितंबर-16	नवंबर-16	2					
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी चरण-V	यू-13	500	अगस्त-15	जनवरी-16	5	3180.4	3180.4	0	1056	बीओपी आर्डर में विलंब तथा बायलर स्ट्रक्चर इरेक्शन की धीमी प्रगति।
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपें.	यू-2	250	जून-09	मार्च-15	69	2030.78	3027.59	996.81	2932.07	यू-1 बायलर में बड़े संशोधन के कारण यूनिट-1 की सीओडी घोषणा में विलंब। यू-1 के अनुसार यू-2 में वही सुधार किए जाने हैं।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी	यू-1	500	मार्च-12	दिसंबर-14	33	4909.54	6602.7	1693.16	5264.31	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति और मुख्य संयंत्र उपस्करों के फाउंडेशन के डिजाइन में परिवर्तन। जनशक्ति की कमी। साफ्ट पानी की उपलब्धता। सांविधिक स्वीकृतियों (वन्य जीव, सीआरजैड आदि) की उपलब्धता में विलंब।
		यू-2	500	अगस्त-12	मार्च-15	31					
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	जीटी	61.3	मार्च-13	फरवरी-15	23	623.4	623.4	0	765.07	सिविल कार्य ठेका अवाई करने में विलंब और भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। भारी मानसून। गैस पाइप लाइन बिछाने और गैस संग्रह केन्द्र में विलंब।
		एसटी	39.7	जुलाई-13	अप्रैल-15	21					
त्रिपुरा	त्रिपुरा सीसीपीपी	माइयूल-2	363.3	मार्च-12	नवंबर-14	32	3429	3429	0	2977	भेल द्वारा लाजिस्टिक अवाई करने में विलंब। सिविल कार्य की धीमी प्रगति। भारी वर्षा। शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब। गैस में अशुद्धताओं के कारण गैस बूस्टर कंप्रेसर की क्षति और गैस की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति में विलंब।
							दो ब्लॉकों की लागत शामिल				
उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.-IV	यू-6	500	दिसंबर-16	जून-17	6	3363.12	3363.12	0	1651.15	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों के अवाई में विलंब।
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	जून-16	0	9750.89	9750.89	0	226.19	यूनिट-2 के बायलर इरेक्शन शुरू करने में विलंब।

		यू-2	660	दिसंबर-16	जून-17	6					
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे-I	यू-1	600	फरवरी-11	सितंबर-14	43	4122	6744.99	2622.99	6151.17	जल और रेल कारीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपस्करों के इरेक्शन में विलंब। टीआरएफ द्वारा सीएचपी की धीमी प्रगति। कानून एवं व्यवस्था समस्या। इंसुलेटिड सामग्री के कारण विलंब।
		यू-2	600	मई-11	जून-15	49					
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, स्टे. - II	यू-3	660	अगस्त-17	मार्च-18	7	9088.99	9088.99	0	466.09	सिविल कार्यों के शुरू होने में देरी।
		यू-4	660	जनवरी-18	सितंबर-18	8					
* संशोधित कार्यक्रम											
	राज्य क्षेत्र										
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवायाह टीपीएस	यू-1	800	जुलाई-12	जुलाई-14	25	8432	8432	0	9310.38	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा आपूर्तियों में देरी के कारण विलंब। बाहरी सीएचपी, आरडब्ल्यूपीएच और सीटी का निर्माण। पारेषण लाइन की उपलब्धता में विलंब।
		यू-2	800	जनवरी-13	फरवरी-15	25					
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे -III	यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-16	29	411	664	253	1776.18	सिविल कार्यों के शुरू होने और पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब।
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	सितंबर-11	मार्च-15	42	3028.86	3781.86	753	319.12	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यों की मंद प्रगति, खराब मृदा स्थिति तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी।
		एसटी	30	जनवरी-12	सितंबर-15	44					
बिहार	बरौनी टीपीएस एस्टैं.	यू-1	250	मई-14	सितंबर-15	16	3666.06	3666.06	0	1800	पर्यावरणीय स्वीकृतियों में विलंब, सीटी, सीडब्ल्यू प्रणाली आदि की तैयारी में विलंब।
		यू-2	250	जुलाई-14	दिसंबर-15	17					
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	500	जुलाई-12	दिसंबर-14	29	4735	6318	1583	6008.48	आरम्भिक विलंब चिमनी अवाई किए जाने में परिवर्तन के कारण हुआ था। बोओपी(सीएचपी, एएचपी और 400 केवी स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब और कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, सामग्री आदि की चोरी। अपर्याप्त जनशक्ति की तैयारी।
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटैं.	यू-3	250	अक्टूबर-13	दिसंबर-14	14	2004	2356	352	2570.27	सिविल कार्य की तैयारी में विलंब और बीओपी आदेश देने में विलंब। बायलर और टीजी इरेक्शन की धीमी प्रगति। बीओपी की धीमी प्रगति।
		यू-4	250	जनवरी-14	मार्च-15	14					
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी	यू-1	250	अक्टूबर-13	मार्च-15	17	3742.08	4223.11	481.03	3282.11	सिविल कार्यों में विलंब और गैर क्रमबद्ध आपूर्ति।

	टीपीपी	यू-2	250	दिसंबर-13	जून-15	18					बीओपी की धीमी प्रगति।
कर्नाटक	बेलारी टीपीएस	यू-3	700	अगस्त-14	अगस्त-15	12	3850	4686	836	3363.06	मुख्य संयंत्र और बीओपी के लिए सिविल ठेका अवार्ड करने में विलंब।
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-1	800	अप्रैल-14	जुलाई-15	15	9015	9015	0	6580.55	मार्शलिंग यार्ड के ओरियंटेशन में परिवर्तन, प्लॉट योजना में परिवर्तन और विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त मृदा जांच तथा तीसरा पक्ष विविक्षा के कारण बारम्बार मृदा जांच।
		यू-2	800	अक्टूबर-14	सितंबर-15	11					
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-8	500	जून-12	अक्टूबर-14	28	5500	6497.29	997.29	5392.57	बीओपी आदेश देने में विलंब और मुख्य संयंत्र उपस्कर आपूर्ति में विलंब। बीओपी में धीमी प्रगति।
		यू-9	500	सितंबर-12	मार्च-15	30					
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-8	660	दिसंबर-13	सितंबर-14	9	11880	11880	0	10477.09	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब हुआ। बीओपी की तैयारी में विलंब।
		यू-9	660	जून-14	जनवरी-15	7					
		यू-10	660	दिसंबर-14	जून-15	6					
महाराष्ट्र	पाली टीपीपी एक्सपें.	यू-8	250	जनवरी-12	मार्च-15	38	1375	1859.24	484.24	1609.34	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। रेखाचित्रों के अनुमोदन में विलंब। धीमा निर्माण कार्य। बीओपी में धीमी प्रगति। मैसर्स सुनील हाइटैक के साथ वाणिज्यिक विवाद।
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी)	यू-2	600	अक्टूबर-12	सितंबर-14	23	4053	7820	3767	6339.6	जनशक्ति की कमी। बायलर प्रेशर पार्ट आपूर्ति/इरेक्शन में विलंब। ईएसपी में विलंब और आईडी एवं एफडी फैन की तैयारी। एसबीओ के दौरान टीजी में क्षति।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	यू-2	600	मार्च-12	जनवरी-15	34	4600	7723	3123	8348.89	बंकरो और कोयला मिलों के निर्माण में विलंब तथा शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
तेलंगाना	काकातिया टीपीपी एक्सपें.	यू-1	600	जुलाई-12	दिसं.-15	41	2968.64	3465.64	497	2287.11	सिविल निर्माण को प्रारंभ करने तथा पूरा करने में विलंब के कारण।
तेलंगाना	सिंगरैनी टीपीपी	यू-1	600	फर.-15	नव.-15	9	5044.8	5044.8	0	3243.15	बीओपी के लिए आदेश देने में विलंब।
		यू-2	600	जून-15	मार्च-16	9					
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यू-6	500	मार्च-11	मार्च-15	48	5358.79	5843.02	484.23	4751.64	सिविल कार्य में विलंब, चिमनी, फायर फाइटिंग, क्लिंग टावर, सीडब्ल्यू सिस्टम की धीमी प्रगति। बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। अपर्याप्त जनशक्ति। बंकर बे के स्ट्रक्चरल इरेक्शन में धीमी प्रगति।
		यू-7	500	जून-11	जून-15	48					सिविल कार्यों में विलंब।
पश्चिम बंगाल	सागरदीघी टीपीपी-II	यू-3	500	जुलाई-14	मार्च-15	8	5340.35	5340.35	0	2641	बीटीजी सामग्री की इरेक्शन और आपूर्ति में

		यू-4	500	अक्टूबर-14	जून-15	8					विलंब। इलेक्ट्रिकल ठेकेदार को आर्डर देने में विलंब। एएचपी की धीमी प्रगति।
	निजी क्षेत्र										
आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अक्टूबर-13	मार्च-17	41	6571.94	6571.94	0	2487	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य लंबे समय तक रुका रहा।
		यू-2	660	मार्च-14	जून-17	39					
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	अप्रैल-16	13	7046	7046	0	3604.01	सिविल कार्यों के शुरू होने और बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
		यू-2	660	जून-15	अगस्त-16	14					
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	मई-14	नवंबर-14	6	6869	6869	0	7930.59	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा पूरा होने में विलंब।
		यू-2	660	अगस्त-14	फरवरी-15	6					
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा. लि. फेज-II	यू-4	150	फरवरी-12	सितंबर-14	31	1605.88	1605.88	0	1858.67	परियोजना के चरण-। के शुरू होने में विलंब और टीजी, सीएचपी तथा रीफ्रेक्टरी सामग्री तथा एमएस डिफ्यूजर की आपूर्ति में विलंब।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
आंध्र प्रदेश	थम्मिनाप एटनाम टीपीपी स्टेज -II	यू-3	350	मई-12	अगस्त-16	51	3791	3791	0	1791.73	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। वित्त की समस्या। स्थल पर कार्य लंबे समय तक बंद पड़ा रहा।
		यू-4	350	अगस्त-12	नवंबर-16	51					
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	यू-1	520	जून-13	सितंबर-14	15	5545	5545	0	5531.45	स्टार्टअप पावर के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। सिविल कार्य, समुद्री जल इनटेक तथा आउटफाल सिस्टम, सीएचपी आदि की धीमी प्रगति। रेलवे लाइन की तैयारी में विलंब।
		यू-2	520	सितंबर-13	दिसंबर-14	15					
बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीएस	यू-1	660	अगस्त-14	13वीं योजना				0	उपलब्ध नहीं	स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तथा 13वीं योजना में जाने की संभावना है।
		यू-2	660	दिसंबर-14	13वीं योजना						
		यू-3	660	अप्रैल-15	13वीं योजना						
		यू-4	660	अगस्त-15	13वीं योजना						
छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-2	600	अगस्त-12	अगस्त-14	24	16190	16190	0	12990.63	जनशक्ति की कमी और ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन, सामग्री की आपूर्ति आदि।
		यू-3	600	दिसंबर-12	मार्च-15	27					
		यू-4	600	अप्रैल-13	नवंबर-15	31					
		यू-5	600	अगस्त-13	सितंबर-16	37					
		यू-6	600	दिसंबर-13	मार्च-17	39					
							छ: यूनिटों की लागत शामिल				
छत्तीसगढ़	बाराडारहा टीपीपी	यू-2	600	जुलाई-13	अगस्त-14	13	6533	6640	107	5930.6	सीएचपी एंड एएचपी, मिल्स की तैयारी में विलंब।

											जेनेरेटर स्टेटर आदि में समस्याओं का सामना।
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-11	2014-15		4658	4658	0	3661	चिमनी का टूटना। राज्य सरकार से प्रचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त न होना।
		यू-2	300	नवंबर-10	2014-15						
छत्तीसगढ़	बंदाखार टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-12	अक्टूबर-14	22	1456.4	1456.4	0	1238.52	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हुआ।
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	अगस्त-13	मार्च-15	19	5058	6890	1832	2486	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। बायलर ड्रम की आपूर्ति में देरी। बायलर और टीजी के इरेक्शन कार्य का पुनः शुरू होना।
		यू-2	300	नवंबर-13	जून-15	19					सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। प्रेशर पार्ट इरेक्शन की धीमी प्रगति।
		यू-3	300	फरवरी-14	13वीं योजना						कार्य अभी शुरू होना है।
		यू-4	300	मई-14	13वीं योजना						कार्य अभी शुरू होना है।
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जनवरी-13	16-17		6886	7700	814	6175	जल प्रणाली के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
		यू-4	660	मार्च-13	16-17						
छत्तीसगढ़	रायखेड़ा टीपीपी	यू-1	685	अक्टूबर-13	अक्टू.-14	12	8290	8290	0	8607.75	सिविल कार्य शुरू करने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण विभिन्न कार्यों की प्रगति कुछ समय प्रभावित हुई।
		यू-2	685	फरवरी-14	जुलाई-15	17					
छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600	जून-14	सितंबर-15	15	4650	6200	1550	3884.41	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बायलर और टीजी स्थापना की धीमी प्रगति।
		यू-2	600	सितंबर-14	मार्च-16	18					
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	यू-1	25	जून-12	नवंबर-14	29	136	142	6	188.29	बीओपी की तैयारी में विलंब। सीएचपी विक्रेताओं के साथ वाणिज्यिक विवाद के कारण और रीफेक्ट्री कार्य में विलंब और सुपर हीटर क्वायल में खराबी। 132 केवी पब्लिक सबस्टेशन की भूमि सीएसआईडीसी से सीएसपीटीसीएल को हस्तान्तरित करने के कारण स्टार्ट अप पावर प्राप्त करने में विलंब।
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-13	मार्च-15	15	2844	2844	0	1896.76	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
		यू-2	300	अप्रैल-14	जून-15	14					
छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	मई-12	अक्टू.-14	29	6653	8881	2228	8454.18	गांववासियों द्वारा आन्दोलन के कारण कार्य प्रभावित हुआ। स्थल पर कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-2	360	नवंबर-12	मार्च-15	28					
		यू-3	360	फरवरी-13	जून-15	28					

		यू-4	360	जुलाई-13	सितंबर-15	26					
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	सितंबर-11	दिसंबर-14	39	1458.44	1458.44	0	2051	परियोजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन और बीओपी तैयारी। बायलर सामग्री, मैसर्स केथर वैसल्स बीटीजी ठेकेदार का असहयोग। बायलर और टरबाइन में विभिन्न समस्याओं के कारण यूनिट-1 को चालू करने में विलंब।
		दो यूनिटों की लागत शामिल									
छत्तीसगढ़	विसा टीपीपी	यू-1	600	अगस्त-13	16-17		2618.7	2618.7	0	1758.01	बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब। बीओपी आर्डर देने में विलंब तथा वित्तीय समस्याएं।
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	मई-12	16-17		2900	2900	0	3120	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। वन स्वीकृति के कारण पारिषण लाइन की तैयारी में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण काम बंद।
		यू-2	270	जून-12	16-17						
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	फरवरी-13	13वीं योजना		3182	3182	0	2207	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या वित्तीय समस्या के कारण काम रुका हुआ है। 13वीं योजना में जा सकता है।
		यू-4	270	मार्च-13	13वीं योजना						
झारखण्ड	तोरी टीपीपी	यू-1	600	जून-13	दिसंबर-16	42	5700	5700	0	3570.15	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। सिविल कार्य के शुरू होने में विलंब तथा स्थल पर कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-2	600	जनवरी-15	मार्च-17	26					
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-3	270	जनवरी-12	सितंबर-14	32	6889	7493.33	604.33	7013.75	बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति। सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब। भेल के साथ भुगतान का मामला। इन्सुलेशन एप्लिकेशन में विलंब। एचएफओ, सीएचपी ओर एएचपी की तैयारी में विलंब। बायलर इरेक्शन एजेंसी को पुनः अवार्ड करना। रेलवे साइडिंग की तैयारी।
		यू-4	270	फरवरी-12	फरवरी-15	36					
		यू-5	270	मार्च-12	जून-15	39					
					पांच यूनिटों की लागत शामिल						
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुलाई-14	13वीं योजना		6646	6646	0	656	वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
		यू-2	270	सितंबर-14	13वीं योजना						
		यू-3	270	नवंबर-14	13वीं योजना						
		यू-4	270	जनवरी-15	13वीं योजना						

		यू-5	270	मार्च-15	13वीं योजना						
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-14	13वीं योजना		6936	6936	0	3611	वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
		यू-2	660	मई-14	13वीं योजना						
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -I	यू-2	270	अप्रैल-12	अगस्त-14	28	6789	7848.98	1059.98	5628.51	बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति। सिविल क्षेत्र की तैयारी। भेल के साथ भुगतान मामला। डकिंटिंग इन्सुलेशन, मिलों, एचएफओ, सीएचपी और एचपी की तैयारी। रेलवे साइडिंग की तैयारी में विलंब। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी सामग्री को स्वीकार न किया जाना। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
		यू-3	270	जून-12	2016-17						
		यू-4	270	अगस्त-12	2016-17						
		यू-5	270	अक्टूबर-12	2016-17						
							पांच यूनिटों की लागत शामिल				
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -II	यू-1	270	अप्रैल-13	13वीं योजना		6789	6789	0	617.59	वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। 13वीं योजना में जा सकता है।
		यू-2	270	जून-13	13वीं योजना						
		यू-3	270	अगस्त-13	13वीं योजना						
		यू-4	270	अक्टूबर-13	13वीं योजना						
		यू-5	270	दिसंबर-13	13वीं योजना						
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी फेज -II	यू-3	660	अक्टूबर-12	सितंबर-14	23	6290	8015	1725	6701	सीएचपी, विद्युत निकासी और भारी वर्षा के कारण विलंब।
									दो यूनिटों की लागत शामिल		
मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज -I	यू-1	600	अप्रैल-13	नवंबर-14	19	6240	6240	0	4868	सिविल कार्यों के देर से शुरू होने और धीमी प्रगति के कारण विलंब। ड्रम की आपूर्ति में विलंब। बायलर तथा इएसपी की इंसुलेशन तथा रिफैक्ट्री की तैयारी।
		यू-2	600	अगस्त-13	अप्रैल-15	20					
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600	सितंबर-11	दिसंबर-14	39	4860	4860	0	6380.25	कोयला ब्लॉक के विकास में विलंब। कोई कोयला लिंकेज टेपरिंग नहीं।
									दो यूनिटों की लागत शामिल		
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	जुलाई-14	14	8100	8100	0	7497.63	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। एसीडब्ल्यू

		यू-2	660	दिसंबर-13	फरवरी-15	14					प्रणाली की तैयारी में विलंब। पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	मार्च-18	57	3941	3941	0	460.44	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए अब तक आर्डर नहीं दिया गया है। भेल को केवल एलओआई दिया गया।
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज -1	यू-1	600	मार्च-13	दिसंबर-14	21	3550	3550	0	2944	सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब। एएचपी में विलंब। बीटीजी सामग्री की पूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।
ओडिशा	देरांग टीपीपी	यू-2	600	जून-12	दिसंबर-14	30	5961	5961	0	4850	कानून एवं व्यवस्था की समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। यूनिट-1 के चालू होने में विलंब।
							दो यूनिटों की लागत शामिल				
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	सितंबर-11	दिसंबर-14	39	3185	3400	215	3300	भारी वर्षा के कारण विलंब। स्टार्टअप पावर के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
		यू-2	350	दिसंबर-11	मार्च-15	39					
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसंबर-11	मार्च-16	63	4990	4990	0	1320	प्रारंभ में चिमनी स्वीकृति तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण विलंब हुआ। माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण कार्य रोक दिया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.5.2014 को कार्य शुरू करने के लिए आदेश दे दिया है।
		यू-2	350	जनवरी-12	2016-17						
		यू-3	350	मार्च-12	2016-17						
ओडिशा	लेंको बबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	16-17		6930	6930	0	4924	भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। यूनिट-2 13वीं योजना में जा सकती है।
		यू-2	660	अगस्त-13	13वीं योजना						
ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	दिसंबर-12	मार्च-15	27	5093	5093	0	4120	भूमि के अधिग्रहण में विलंब और टीजी हॉल स्ट्रक्चरों की आपूर्ति में विलंब।
		यू-2	525	फरवरी-13	जून-15	28					
पंजाब	गोइंदवाल साहिब	यू-1	270	अप्रैल-13	नवंबर-14	19	2963.81	2963.81	0	3480.62	सीएचपी तथा एएचपी की तैयारी में विलंब। रेलवे की तैयारी में विलंब।
		यू-2	270	अक्टूबर-13	फरवरी-15	16					
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-2	660	जनवरी-13	जनवरी-15	24	10250	10250	0	9918.34	सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब। यूनिट-1 के चालू होने में विलंब।
		यू-3	660	मई-13	मार्च-15	22					
							तीन यूनिटों की लागत शामिल				

तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी	यू-1	600	फरवरी-12	अक्टूबर-14	32	4800	5158	358	5295.91	मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। जनशक्ति की कमी तथा स्विचयार्ड एवं डीएम संयंत्र की तैयारी के कारण विलंब।रेत की आपूर्ति और भूमिजल के उपयोग के लिए नीति में परिवर्तन। बैंकों द्वारा अतिरिक्त ऋण का संवितरण।
		यू-2	600	मार्च-12	जनवरी-15	34					
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड भारत)	यू-1	660	मई-12	13वीं योजना		3595	3595	0	628	सिविल कार्यों का देर से शुरू होना और कार्य की धीमी प्रगति तथा बाँयलर स्ट्रक्चर सामग्री उपलब्धता।13वीं योजना में जा सकता है।
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-14	फरवरी-15	12	11622	11622	0	9016.04	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। स्टार्टअप पावर के लिए कच्चा पानी पाइपलाइन की तैयारी और पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कार्य की प्रगति में देरी हुई।
		यू-2	660	जुलाई-14	अक्टूबर-15	15					
		यू-3	660	दिसंबर-14	मार्च-16	15					
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	अक्टूबर-14	फरवरी-15	4	11848	11848	0	9296.99	भारी वर्षा के कारण विलंब,टीजी इरेक्शन स्टार्ट में विलंब, बायलर इंसुलेशन और ईंधन तेल प्रणाली तैयारी आदि में विलंब।
		यू-2	660	फरवरी-15	मई-15	3					
		यू-3	660	जून-15	अक्टूबर-15	4					

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र

टीपीपी = ताप विद्युत परियोजना

टीपीएस = ताप विद्युत केंद्र

एसटीपीपी = सुपर ताप विद्युत परियोजना

सीसीपीपी =कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट

जेवी = संयुक्त उद्यम

एचईपी = जल विद्युत परियोजना

सीसीजीटी = कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन

यूएमपीपी = अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

अनुबंध-II

"लंबित विद्युत परियोजनाओं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 439 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25 मेगावाट से अधिक)

लगा समय और लागत में वृद्धि

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
केन्द्रीय क्षेत्र												
1	कोल डैम (4x200 मेगावाट) एनटीपीसी	हिमाचल प्रदेश	1-3 4	600 200	2008-09 2009-10	2015-16 2015-16	84 72	4527.15 (12/01)	7220.00	2692.85	5958.00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बांध की मिट्टी भराई, बांध गैलरियों की ग्राउटिंग, स्पिलवे की कंक्रीटिंग की धीमी प्रगति। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ इस्पात के प्रापण में विलंब। ➤ कमजोर भूविज्ञान, क्लेकोर की नींव में सीलन के कारण राइट बैंक का विफल होना। ➤ जलाशय भराव के दौरान डाइवर्जन सुरंग में रिसाव ➤ ईएल 574 से ऊपर जलाशय भराई के लिए 44 हेक्टेयर भूमि के लिए एफसीए स्वीकृति
2	तपोवन विष्णुगाड (4 x 130 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1-4	520	2012-13	2016-17	48	2978.48 (11/06)	3846.30	867.82	2146.00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल ठेकेदारों द्वारा सुरंग बोरिंग मशीन के प्रापण/तैनाती में विलंब। ➤ खराब पत्थर स्ट्राटा के कारण पावर हाउस में धीमी प्रगति। ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। ➤ जून, 2013 में बादल का फटना। ➤ बैराज और एचआरटी की सिविल संविदा की समाप्ति
3	लता तपोवन (3x57 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1-3	171	2017-18	2018-19	12	1527.00	1527.00	शून्य	130.00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़ (उत्तराखंड त्रासदी) ➤ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना ➤ माननीय उच्चतम न्यायालय ने परियोजना जारी रखने पर रोक लगाई
4	पारे (2 x 55 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1व2	110	2013-14	2016-17	36	573.99 (06/07)	1128.38	728.90	840.66	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कानून-व्यवस्था की समस्या। ➤ ठेकेदार के पास संसाधनों की कमी। ➤ कमजोर भूविज्ञान। ➤ सितंबर, 2012 में बादल का फटना। ➤ खराब पहुंच सड़क।
5	तुरियल (2 x 30)	मिजोरम	1व2	60	2006-07	2016-17	120	368.72 (06/97)	913.63 (03/10)	544.91	601.12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जून, 2004 से स्थानीय अशांति के कारण समय से पहले कार्यों का निलंबन। ➤ 14.11.2011 को कार्य पुनः प्रारंभ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
	मेगावाट) नीपको											<ul style="list-style-type: none"> खराब पहुंच सड़क। ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त एकत्रीकरण। पावर हाउस में स्लोप का असफल होना।
6	कामेंग (4 x 150 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1-4	600	2009-10	2016-17	84	2496.90 (03/04)	4653.95	2157.05	2940.49	<ul style="list-style-type: none"> बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। खराब भूविज्ञान, अत्यधिक सीलन, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में बादल का फटना। एचआरटी में जल का प्रवेश। खराब पहुंच सड़क। संविदात्मक मामले। राज्य सरकार से जांच के लिए स्वीकृति।
7	टिहरी पीएसएस (4 x 250 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखण्ड	1-4	1000	2010-11	2017-18	84	1657.60 (12/05) (मूल अनुमोदन के अनुसार)	2978.86 (04/10)	1321.26	735.81	<ul style="list-style-type: none"> ई एंड एम कार्यों की विशेषज्ञता वाली प्रकृति। एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन अनुमानित लागत से अधिक था। आरसीई अक्टूबर, 2010 में अनुमोदित किया गया। मुकदमा, एकल ईपीसी ठेका मैसर्स एल्सटोम हाइड्रो फ्रांस और मैसर्स एचसीसी को 23.6.2011 को अवाई किया गया। खराब भूविज्ञान। असेना क्वारी एवं मक निपटान क्षेत्र में स्थानीय विरोध। ठेकेदारों की खराब तैयारी। खराब भूविज्ञान के कारण मशीन हॉल की योजना का संशोधन।
8	रामपुर (6 x 68.67 मेगावाट) एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	3व6	137.34	2011-12	2014-15	36	2047.03	3288.28	1241.25	3161.88	<ul style="list-style-type: none"> एचआरटी में खराब भूविज्ञान। पावर हाउस क्षेत्र में स्लोप विफलता। स्थानीय लोगों द्वारा रूक-रूक कर किया गया अवरोध।
9	तीस्ता लो डैम- IV (4x40 मेगावाट) एनएचपीसी	पश्चिम बंगाल	1-4	160	2009-10	2015-16	72	1061.38 (03/05)	1502.0	440..62	1513.20	<ul style="list-style-type: none"> वन स्वीकृति में विलंब। जुलाई, 2007, मई, 2009 और जुलाई, 2010 में अचानक बाढ़। गोरखा जन मुक्ति आंदोलन/बंद। सिविल संविदाकार(मैसर्स एचसीसी) की धन संबंधी समस्या, दिनांक 20.03.2013 से कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है।
10	पारबती - II (4x200 मेगावाट) एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	1	800	2009-10	2016-17	84	3919.59 (12/01)	5365.70 (अनुमानित)	1446.11	4534.79	<ul style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रूप करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रूपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
												<ul style="list-style-type: none"> ➤ फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड। ➤ अगस्त, 2011 में अचानक बाढ़। ➤ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। ➤ लॉट पीबी-2 क्षेत्र में संविदागत मामले, मैसर्स एचजेवी के साथ मार्च, 12 में संविदा समाप्त हुई। ➤ लॉट पीबी-2 क्षेत्र के शेष कार्यों के लिए पुनः संविदा प्रदान करना (13.08.2013 को एचआरटी के टीबीएम भाग को पुनः अवाई किया गया)। डीबीएम भाग 21.11.2013 को पुनः अवाई किया गया।
11	सुबानसिरी लोअर (8x250 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	1व2 3व4 5-8	500 500 1000	2009-10 2010-11 2010-11	2016-17 2016-17 2017-18	84 72 84	6285.33 (12/02)	10667 (अनुमानित)	4381.67	6877.35	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➤ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➤ रंगानदी नदी पर पुल क्षति। ➤ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➤ परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा घोषित आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूक गया। ➤ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला।
12	किशनगंगा (3x110 मेगावाट) एनएचपीसी	जम्मू एवं कश्मीर	1-3	330	2015-16	2016-17	12	3642.04 (09/07)	5497.72	1855.68	3489.64	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना के टर्नकी निष्पादन के लिए न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली बोली की कीमत अधिक होने को ध्यान में रखते हुए संशोधित सीसीईए को 14.01.2009 को अनुमोदित दिया गया। ➤ मार्च, 2011 में भारी बारिश। ➤ एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। ➤ एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की मांग करते हुए 29.08.2012 से 17.10.2012 तक कार्य रोक दिया गया। ➤ अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कारण बांध कार्य प्रभावित हुआ। ➤ रोजगार संबंधी मामले।
13	विष्णुगाड पीपल कोटी (4x111 मेगावाट) टीएचडीसी,	उत्तराखंड	1-4	444	2018-19	2018-19	शून्य	2491.58 (03/08)	3745.08 (10/11)	1253.50	488.66	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी, 2014 में कार्य अवाई किया गया।
राज्य क्षेत्र												
14	किशनगंगा (3x110 मेगावाट)	जम्मू एवं कश्मीर	1-3	450	2014-15	2016-17	24	2113.09	2113.09	शून्य	191.72	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदा की लागत को अंतिम रूप देने में विलंब। ➤ ईएंडएम कार्य क्रिटिकल।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
	एनएचपीसी											
15	कशांग-I (1x65 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1	65	2013-14	2016-17	36	478.02	478.02	शून्य	740.52	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल और ईएंडएम कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
16	कशांग -II व III (1x65 + 1x65 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1-2	130	2013-14	2016-17	36	601.78	601.78	शून्य	कशांग-I के अंतर्गत सहित	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्थानीय मामले। लीपा ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। मामला न्यायालय में है। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
17	उहल-III (3x33.33मेगावाट) बीवीपीसीएल (एचपीएसईबी)	हिमाचल प्रदेश	1-3	99.99	2006-07	2016-17	120	431.56 (09/02)	940.84 (03/08)	509.28	981.68	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ संविदाकार के कार्य न करने और धीमी प्रगति के कारण एचआरटी के निर्माण के लिए संविदा दो बार अर्थात् मई, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान रद्द की गई। ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान।
18	सावरा कुड्डु (3x37 मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1-3	111	2010-11	2016-17	72	558.53	1181.90 (03/12)	623.37	974.00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति में विलंब। ➤ सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान। ➤ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➤ संविदात्मक मामले।
19	सैंज (2 x 50 मेगावाट) एचपीपीसीएल 29.12.2010	हिमाचल प्रदेश	1-2	100	2014-15	2015-16	12	784.56	784.56	शून्य	669.66	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ स्थानीय मामले।
20	लोअर जुराला (6x40 मेगावाट) टीजेनको	तेलंगाना	1-4 5व6	160 80	2011-13 2011-13	2014-15 2015-16	36	908.34 (2007)	1474.83	566.49	1267.32	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ईएंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ सिविल कार्यों में धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण में समस्या। ➤ 2009,2010, 2012 और 2013 में अभूतपूर्व बाढ़। ➤ तेलंगाना राज्य के लिए टीजेएसी द्वारा बार-बार बंद। ➤ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलन। ➤ 23.04.2011 से 30.11.2012 तक ग्रामीणों द्वारा बांध के दाएं किनारे की कंक्रीटिंग

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
												<p>रोक दी गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ एचएम कार्यों की धीमी प्रगति।
21	पुलीचिन्ताला (4x30 मेगावाट) टीजेनको	तेलंगाना	1&2 3व4	60 60	2009-11 2009-11	2015-16 2016-17	72	380.00 (2006-07)	396.00	16.00	246.35	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ईएंडएम कार्य। ➤ अक्टूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अप्रत्याशित बाढ़। ➤ संविदात्मक मामले। ➤ पावर हाउस कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ संविदात्मक मामलों के कारण 16.09.2011 से 29.06.2012 तक और नवंबर, 12 से मई, 13 तक सिविल कार्य लंबित कर दिए गए। ➤ संविदाकार द्वारा अधिक कीमत की मांग के कारण अगस्त, 2013 में ईएंडएम निर्माण कार्य संविदा समाप्त कर दी गई।
22	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2x25 मेगावाट) एपीजेनको	आंध्र प्रदेश	1व2	50	2008-09	2014-15	72	464.63 (2002-03)	958.67	494.04	605.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2009, 2011 और 2013 के दौरान बार-बार बाढ़ आने के कारण बांध की धीमी प्रगति। ➤ एचएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ बांध कार्यों में संविदात्मक मामले।
23	पल्लीवसल 2x30 मेगावाट) केएसईबी	केरल	1व2	60	2010-11	2016-17	72	268.02	268.02	शून्य	175.98	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➤ एचआरटी से अदित के संरेखण में परिवर्तन। ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान भूस्तर। ➤ भारी मानसून।
24	थोड्टीयार (1x30+1x10) मेगावाट केएसईबी	केरल	1व2	40	2012-13	2016-17	48	136.79 (2007)	150.02	13.23	32.05	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भूमि अधिग्रहण मामला। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और एप्रोच चैनल के कार्य रोक दिया गया। ➤ न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल-2013 तक कार्य रोक दिया गया।
25	न्यू उमतरु (2x20 मेगावाट) एमईईसीएल	मेघालय	1व2	40	2011-12	2015-16	48	226.40	226.40	शून्य	201.63	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ वित्तीय बाधाएं।
निजी क्षेत्र												
26	तिदोंग-1 2x50 मेगावाट) एमएसएल तिदोंग	हिमाचल प्रदेश	1व2	100	2013-14	2016-17	36	543.15	543.15	शून्य	250.89	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलंब, सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों का निलंबन।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
27	टंगनू रोमाई-1 (2x22 मेगावाट) टीआरपीजीपी एल	हिमाचल प्रदेश	1x2	44	2014-15	2016-17	24	255.00	255.0	शून्य	179.00	<ul style="list-style-type: none"> सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। खराब भूविज्ञान। कठिन क्षेत्र। मौसम परिस्थितियां और पहुंच।
28	सोरंग (2x50 मेगावाट) एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	1x2	100	2012-13	2015-16	36	586.00	586.00	शून्य	213.05	<ul style="list-style-type: none"> खराब भूविज्ञान। कठिन क्षेत्र। मौसम परिस्थितियां और पहुंच। पैनस्टॉक क्रेक्स/लिकेज।
29	श्रीनगर (4x82.5 मेगावाट) अलकनंदा हाइड्रो पावर क. लिमि.	उत्तराखंड	1-4	330	2005-06	2015-16	120	1699.12 (3/99)	2069.00	369.88	3328.01	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय बंदी। बांध कार्यों की धीमी प्रगति। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 30.05.2011 से अगस्त, 2013 तक कार्य रोकने का नोटिस जारी किया। स्थानीय मुद्दे। जून, 2013 में अचानक बाढ़।
30	सिंगोली भटवारी (3x33 मेगावाट) एल एंड टी	उत्तराखंड	1-2	99	2014-15	2016-17	24	666.47	666.47	शून्य	580.65	<ul style="list-style-type: none"> एचआरटी में खराब भूविज्ञान। स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन। जून, 2013 में अचानक बाढ़।
31	फाटा ब्यूंग (2x38 मेगावाट) लैंको	उत्तराखंड	1x2	76	2015-16	2016-17	12	520.00	520.00	शून्य	518.24	<ul style="list-style-type: none"> जून, 2013 अचानक बाढ़।
32	महेश्वर (10x40 मेगावाट) एसएमएचपी सीएल	मध्य प्रदेश	1-3 4-10	120 280	2001-02 2001-02	2015-16 2016-17	180	1569.27 (96-97)	3938.66	1190.73	2917.70	<ul style="list-style-type: none"> आरएंडआर मामले। विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह संबंधी समस्या।
33	तीस्ता स्टेज III (6X200 मेगावाट) टीस्ता ऊर्जा	सिक्किम	1 2-6	200 1000	2011-12 2011-12	2014-15 2015-16	48	5705.55	8580.90	2875.35	8523.64	<ul style="list-style-type: none"> वन स्वीकृति में विलंब। सितंबर, 2011 में भूकम्प के कारण कार्य प्रभावित हुए। विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (/संस्थापित क्षमता)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	लगने वाला अधिक समय (माह)	परियोजना लागत रुपए करोड़ में (मूल्य स्तर)			व्यय (रुपए करोड़ में)	लगने वाले अधिक समय और लागत के कारण
								मूल	नवीनतम	बढ़ी हुई लागत		
	लिमिटेड											
34	तीस्ता स्टेज VI (4X125 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1-4	500	2012-13	2016-17	48	3283.08	3283.08	शून्य	2399.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भूविज्ञान। ➤ भूमि अधिग्रहण। ➤ संविदात्मक मामले। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
35	रंगीत-IV एचई प्रोजेक्ट (3X40 मेगावाट) जेपीसीएल	सिक्किम	1-3	120	2012-13	2016-17	48	726.16	726.16	शून्य	563.20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भूविज्ञान के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ सितंबर, 2011 में भूकम्प के कारण कार्य बाधित हुए। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
36	जोरेनथांग लूप (2x28 मेगावाट) डीएएन-एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1व2	56	2012-13	2014-15	24	543.15	543.15	शून्य	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भूविज्ञान। ➤ पारेषण लाइन के लिए वन स्वीकृति।
37	भास्मे (2x25.5 मेगावाट) गति इफ्रास्ट्रक्चर	सिक्किम	1व2	51	2012-13	2016-17	48	408.50	408.50	शून्य	162.40	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वन स्वीकृति ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4054

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

कोयले के आयात पर निर्भरता

4054. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) कोयले के आयात पर निर्भर है और वह घरेलू कोयला उत्पादन कंपनियों से कोयला प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू कोयले और आयातित कोयले जिनके लिए एनटीपीसी ने करार किए हैं, का मूल्य तंत्र क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2013-14 के दौरान घरेलू कोयला उत्पादक कम्पनियों से नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) को 149.8 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आपूर्ति की गई थी और घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए एनटीपीसी ने 10.8 एमटी कोयला आयात किया है।

(ग) : ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के लिए घरेलू कोयले की आपूर्ति कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मूल्य पर की जाती है।

एनटीपीसी द्वारा आयातित कोयले की खरीद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4070

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा नई विद्युत परियोजना के लिए
अनुबंध

4070. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने किसी प्रतिष्ठान की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं हेतु कोई नया अनुबंध किया है और/या फिर सरकार या किसी एजेंसी के साथ समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। एनटीपीसी ने बिहार के लखीसराय जिले में 1320 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के विकास के लिए फरवरी, 2014 में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) और लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एलबीसीपीएल) के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4074

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग

4074. श्री कृष्ण प्रतापः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत की मांग से संबंधित कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के दौरान विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए धनराशि/निवेश से संबंधित कोई आकलन किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, 12वीं योजना के लिए अखिल भारतीय वैद्युत ऊर्जा मांग (ईईआर) और वार्षिक व्यस्ततम विद्युत भार (एपीईएल) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	ईईआर(मि.यू.)	एपीईएल (मेगावाट)
2012-13	1007694	143967
2013-14	1084610	156208
2014-15	1167731	169491
2015-16	1257589	183902
2016-17	1354874	199540

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट और ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं के लिए प्रक्षेपित निधि आवश्यकता 5,74,214 करोड़ रूपए है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

(ङ) : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :

- (i) चालू विद्युत परियोजनाओं की कठोर निगरानी।
- (ii) विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
- (iii) कार्यान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तीव्र निपटारा।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता की वृद्धि।
- (v) जल विद्युत परियोजनाओं की तेजी से शुरूआत सहित जल क्षमता अभिवृद्धि पर ध्यान देना।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4074 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं के लिए राज्य-वार निधि आवश्यकता

क्रम सं.	राज्य	कुल	
		मेगावाट	निधि आवश्यकता
	उत्तरी क्षेत्र		
1	दिल्ली	750	4,500
2	हरियाणा	1,160	6,960
3	हिमाचल प्रदेश	3,583	28,664
4	जम्मू एवं कश्मीर	1,109	8,872
5	पंजाब	3,920	23,520
6	राजस्थान	2,930	23,180
7	उत्तर प्रदेश	4,730	28,380
8	उत्तराखंड	1,025	8,200
	कुल एनआर	19,207	1,32,276
	पश्चिमी क्षेत्र		
9	छत्तीसगढ़	12,840	77,040
10	गुजरात	4,252	31,112
11	मध्य प्रदेश	7,380	45,080
12	महाराष्ट्र	10,300	61,800
		34,772	2,15,032
	दक्षिणी क्षेत्र		
13	आंध्र प्रदेश	8,770	53,440
14	केरल	100	800
15	तमिलनाडु	7,270	53,740
	कुल एसआर	16,140	1,07,980
	पूर्वी क्षेत्र		
16	बिहार	4,690	28,140
17	झारखण्ड	2,080	12,480
18	आडिशा	3,960	23,760
19	सिक्किम	2,066	16,528
20	पश्चिम बंगाल	2,092	13,136
	कुल ईआर	14,888	94,044
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		
21	अरुणाचल प्रदेश	1,710	13,680
22	असम	850	5,100
23	मेघालय	82	656
24	मिजोरम	60	480
25	त्रिपुरा	828	4,966
	कुल एनईआर	3,530	24,882
	सकल योग	88,537	5,74,214

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4076

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पुनर्गठित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

4076. श्री धर्मन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-स्थानिक उद्योग संघ (एजीआई) ने मंत्रालय को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के संबंध में अपने अनुभव के आधार पर एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एजीआई की सिफारिशों के आधार पर कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एशोसिएशन ऑफ जियोस्पेटियल इंडस्ट्रीज (एजीआई) ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन में अपने सदस्यों के अनुभवों के आधार पर विद्युत मंत्रालय को जानकारी दी थी। एजीआई के सुझाव मुख्य रूप से आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रचालनात्मक मामले और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) संबंधी कार्य के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों से संबंधित थे।

(ग) और (घ): एजीआई की सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन किया गया है और एजीआई के साथ विद्युत मंत्रालय में कई बैठकों का आयोजन किया गया था। बैठकों में एजीआई सदस्यों को यह सूचित किया गया था कि

उनके द्वारा उठाए गए अधिकांश बिन्दुओं को आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पहले ही कवर कर लिया गया है और जिनका अनुपालन यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वयन के दौरान किया जा रहा है, इसके अंतर्गत नक्शों में सुधार करने के लिए वर्ग किलोमीटर में नगर की सीमा रेखाओं को अंतिम रूप देना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर (एनआरएससी) से नक्शों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल करना, यूटिलिटि के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, समर्पित परियोजना प्रबंधन दल का गठन करना, यूटिलिटियों आदि के साथ निकटतम समन्वय की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आईटीआईए)/जियो-स्पेटियल पार्टनर (जीएसपी) का कार्यकरण आदि शामिल है। इन्हें मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन से संबंधित अधिकांश मामलों के समाधान और परिणाम प्राप्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न फोरमों और समीक्षा बैठकों में भी उठाया गया है। एजीआई को आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत एवं अवार्ड की गई सभी स्कीमों के बारे में भी सूचित किया गया है जोकि यूटिलिटी और आईटीआईए के बीच सहमत संविदात्मक बाध्यताओं के अनुरूप हैं और जिसे अवार्ड करने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4079

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

बांधों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम

4079. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को भूटान में ऊपरी जलधारा क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए बांधों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सरकारी पहल को लेकर निचले असम के सभी वर्गों के लोगों में बड़े पैमाने पर व्याप्त असंतोष की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भूटान में प्रत्येक जल-विद्युत परियोजना के संबंध में पर्यावरण और निचले जलधारा क्षेत्र पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असम में निचले जलधारा-क्षेत्र में रह रहे लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं। कभी भी इस तरह की परेशानी सामने नहीं आई है।

(ग) और (घ) : भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के पर्यावरण प्रभाव आकलन का अध्ययन संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा भूटान सरकार की कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है। चार परियोजनाओं में से चमखरचू-1, वांगछू और खोलंगछू नामक तीन जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) रन ऑफ रीवर (आरओआर) परियोजनाएं हैं और इनका किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रतिकूल और अनुप्रवाह प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, वांगछू जल विद्युत परियोजना (एचईपी) और बुनखा जल विद्युत परियोजना (एचईपी), वांगछू नदी बेसिन (भारत में रैडक के नाम से जानी जाती है) पर स्थित हैं जो भारत में पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हैं। शेष दो जल विद्युत परियोजनाएं खोलंगछू एचईपी और चमखरचू-1 एचईपी मानस नदी बेसिन पर स्थित हैं जो भारत के असम में प्रवाहित होती हैं। हालांकि भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं सीमा क्षेत्र से काफी दूर स्थित हैं और इसलिए इन जल विद्युत परियोजनाओं का असम के अनुप्रवाह में रहने वाले लोगों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4082

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजना के लिए एकल
खिड़की स्वीकृति प्रणाली

4082. श्री अर्का केशरी देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) के लिए एकल खिड़की प्रणाली से स्वीकृति प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की उन विद्युत कंपनियों के विरुद्ध कदम उठाने की योजना है, जो समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं- सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अध्यक्षता में पहले ही अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी के संबंध में प्रत्येक के लिए पृथक संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) का गठन किया गया है तथा इन समितियों में संबंधित राज्य जहां यूएमपीपी स्थित है, से उपाध्यक्ष हैं। विद्युत खरीद रहे राज्यों, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से प्रतिनिधियों को जेएमसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यूएमपीपी की प्रगति की समीक्षा और उससे संबंधित मामला यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए जेएमसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4086

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण

4086. श्री रामसिंह राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और आधुनिकीकरण के बाद प्रत्येक परियोजना/संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है तथा इस पर कितना व्यय हुआ?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 12वीं योजना अवधि के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों की 12066 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 70 यूनिटों की जीवन विस्तार (एलई) के कार्यान्वयन के लिए पहचान की गयी है तथा 17301 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 65 इकाइयों की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पहचान की गयी है। इसके अतिरिक्त, लगभग 6066 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 30 जल विद्युत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को 12वीं योजना के दौरान पूरा करने के लिए लिया गया है।

(ग) : 11वीं योजना अवधि के दौरान, ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 2779 करोड़ रुपये के व्यय से 13 यूनिटों (1291 मेगावाट) में जीवन विस्तार कार्य तथा 59 यूनिटों (14855 मेगावाट) में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य पूरे किए गए। आरएण्डएम/एलई कार्यों के पश्चात, 11वीं योजना में ताप विद्युत संयंत्रों में 80% पीएलएफ पर 354 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त हुई है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, लगभग 295 करोड़ रुपये के व्यय से 73 यूनिटों (4821 मेगावाट) में आरएण्डएम/एलई कार्य पूरे किए गए। आरएण्डएम/एलई कार्यों के पश्चात, जल विद्युत परियोजनाओं में 735 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त हुई है। ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-1 तथा II में है।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4086 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

11वीं योजना के दौरान पूरे किए गए आर एण्ड एम/एलई कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण		क्षमता (मेगावाट)
परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनका एलई कार्य पूरा हो चुका है		
राज्य क्षेत्र (10 यूनिटें)		
उत्तर प्रदेश		
1	ओबरा टीपीएस यूनिट - 1, 2, 6 व 9	40+ 40 + 94 + 200=374
2	हरदुआगंज टीपीएस यूनिट 5	60
हरियाणा		
3	पानीपत टीपीएस यूनिट 1	110
गुजरात		
4	उकई टीपीएस यूनिट 1 व 2	2x120
मध्य प्रदेश		
5	अमरकंटक यूनिट 1 व 2	2x 120=240
केंद्रीय क्षेत्र (3 यूनिटें)		
राजस्थान		
1	अंता सीसीजीटी, जीटी- 1 से 3 एनटीपीसी लिमिटेड	3x89=267
कुल (एलई) =		13 यूनिटें
		1291 मेगावाट

उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके थर्मल प्लांट में 11वीं योजना में आर एण्ड एम कार्य पूरे कर लिए हैं

विवरण		क्षमता (मेगावाट)
राज्य क्षेत्र (20 यूनिटें)		
पंजाब		
1	रोपर टीपीएस यूनिट - 1 से 6	6x210=1260
महाराष्ट्र		
2	कोराडी टीपीएस यूनिट 5 से 7	(1x200 + 2x210)=620
3	चंद्रपुर टीपीएस यूनिट 1 से 6	(4x210 + 2x500 मेगावाट)=1840
4	पार्ली टीपीएस यूनिट - 3 से 5	(3x210 मेगावाट)=630
दिल्ली		
5	राजघाट टीपीएस यूनिट - 1 व 2	(2x67.5 मेगावाट)=135
केंद्रीय क्षेत्र		
पश्चिम बंगाल		
1	दुर्गापुर टीपीएस (डीवीसी) यूनिट 3 व 4	130 मेगावाट + 210 मेगावाट =340
2	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-I, यूनिट - 1 से 3, एनटीपीसी, पश्चिम बंगाल	(3x200 मेगावाट)=600
छत्तीसगढ़		
1	कोरबा एसटीपीएस यूनिट - 1 से 6, एनटीपीसी	(3x200 + 3x500 मेगावाट)=2100
ओडिशा		
2	तालचेर टीपीएस, यूनिट - 5 व 6, एनटीपीसी	(2x110 मेगावाट)=220
मध्य प्रदेश		
3	विंध्याचल एसटीपीएस यूनिट - 1 से 6, एनटीपीसी	(6x210 मेगावाट)=1260
तेलंगाना		
4	रामागुंडम एसटीपीएस यूनिट - 1 से 6, एनटीपीसी	(3x200 + 3x500 मेगावाट)=2100
उत्तर प्रदेश		
5	टांडा टीपीएस यूनिट - 1, 3 व 4, एनटीपीसी	(3x110 मेगावाट)=330
6	सिंगरौली एसटीपीएस यूनिट 1 से 7, एनटीपीसी	(5x200 + 2x500 मेगावाट)=2000
7	ऊंचाहार टीपीएस स्टेज - 1, यूनिट 1 व 2, एनटीपीसी	(2x210 मेगावाट)=420
8	रिहंद स्टेज - 1, यूनिट 1 व 2, एनटीपीसी	(2x500 मेगावाट)=1000
कुल (आर एण्ड एम) =		59 यूनिटें
		14855 मेगावाट
कुल (एलई और आर एण्ड एम) =		72 यूनिटें
		16146 मेगावाट

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4086 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

11वीं योजना में पूरी की गई जल विद्युत आरएम एण्ड यू स्कीमों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	परियोजना, एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
पूरी की गई स्कीमें		
हिमाचल प्रदेश		
1.	देहार फेज ए बीबीएमबी	6x165
2.	देहार फेज बी बीबीएमबी	6x165
उत्तराखण्ड		
3	टनकपुर, एनएचपीसी	3x31.4
4	खोदरी फेज ए यूजेवीएनएल	4x30
5	चिल्ला फेज ए, यूजेवीएनएल	4x36
आंध्र प्रदेश		
6	अपर सिलेरू, एपजेनको	4x60
कर्नाटक		
7	नागीहरी, यू 1 से 6, केपीसीएल	5x150 + 1x135
8	शारावथी फेज बी, केपीसीएल	10x103.5
9	सूपा, केपीसीएल	2x50
10	भद्रा, केपीसीएल	2x12
11	लिंगामक्की, केपीसीएल	2x27.5
तमिलनाडु		
12	मेडूर डैम, टेनजेडको	4x10
महाराष्ट्र		
13	कोयना स्टेज I व II, एमएसपीजीसीएल	4x70 + 4x80
14	वैतर्णा, एमएसपीजीसीएल	1x60
15	कोयना डैम पीएच, एमएसपीजीसीएल	2x18
16	कोयना स्टेज III, एमएसपीजीसीएल	4x80
मणिपुर		
17.	लोकटक, एनएचपीसी	3x30 अमूल्यांकित
मेघालय		
18.	उमियम स्टेज II	2X9
	कुल	4821.20

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4088

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है।

विनियमित प्रश्न व्यवस्था

4088. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत क्षेत्र के ऋणदाताओं ने सरकार से दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों के माध्यम से विद्युत खरीद के अनिवार्य मार्ग के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बोली निर्दिष्ट करने वाले वर्तमान मानदंडों के विकल्प के रूप में विनियमित प्रश्न व्यवस्था को पुनः अपनाने का अनुरोध किया है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्ग के माध्यम से बिजली खरीदने को अनिवार्य बनाया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के ऋणदाताओं ने विनियमित प्रश्न व्यवस्था को पुनः अपनाने के लिए इस मंत्रालय को अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) : उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा विद्युत उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत 6.1.2006 को प्रश्न नीति अधिसूचित की थी।

प्रश्न नीति में यह प्रावधान है कि 6 जनवरी, 2011 के बाद वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की सभी भावी अधिप्राप्ति प्रतिस्पर्धी बोली आधारित प्रश्न के जरिए की जानी चाहिए। इसमें सरकार/राज्य स्वामित्व की एंटीटी से अधिप्राप्त विद्युत भी शामिल है। तथापि, अनिवार्य प्रश्न आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से 31.12.2015 तक जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशिष्ट छूट है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2013-14 में मानक बोली दस्तावेज और दिशा-निर्देश संशोधित और अधिसूचित किए हैं तथा उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/वितरण कंपनियों को इन दस्तावेजों के आधार पर विद्युत अधिप्राप्त करने के लिए सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4090

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं का स्थान परिवर्तन

4090. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश में बांदा से सटे हुए बागर में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत परियोजना को ललितपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना इस प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि पर अन्य विद्युत परियोजना लगाने की है;
- (ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक स्थापित करने की संभावना है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : जी नहीं। तथापि, चित्रकूट जिले में बरगढ़ पावर प्रोजेक्ट को बरगढ़ में पानी की अनुपलब्धता के कारण ललितपुर जिले के ललितपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- (ख) : जी नहीं।
- (ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4091

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जिलों को शामिल
करना

4091. श्री राहुल कस्वां :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चुनी गई एजेंसियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) राज्य में विशेषतः चूरू क्षेत्र में सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या समय-सीमा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत राजस्थान की 68 परियोजनाओं (10वीं योजना में 25 परियोजनाएं, 11वीं योजना में 15 परियोजनाएं और 12वीं योजना में 28 परियोजनाएं) को संस्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें 4,226 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गांवों का विद्युतीकरण, 59,358 विद्युतीकृत गांवों (आईईवी) का गहन विद्युतीकरण और 17,07,492 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है। संचयी रूप से, 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत 4,170 यूई गांवों, 33,311 आईई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं और 11,62,877 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

(ख) : राजस्थान में सभी तीन राज्य डिस्कामों अर्थात अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं। तथापि, राज्य डिस्कामों द्वारा 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की गई थी।

(ग) : चुरु जिले की परियोजना को आरजीजीवीवाई की 10वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अंतर्गत 6 यूई गांवों का विद्युतीकरण, 843 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 41,020 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करना शामिल है। जिले में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है और परियोजना को बंद कर दिया गया है। 837 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और 31,806 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए चुरु जिले के लिए अन्य परियोजना को 12वीं योजना में पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने की निर्धारित अवधि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कंट्रैक्ट अवार्ड किए जाने की तिथि से 24 माह है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4105

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत स्टेशन

4105. श्री डी. के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ताप विद्युत स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने, विशेषतः धुएं इत्यादि के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को घटाने के लिए कोई कदम उठा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित किए जा रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.01.2014 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 2(ई.) द्वारा, कच्चे अथवा मिश्रित या परिष्कृत कोयले के प्रयोग के संबंध में कठोर प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है।

प्रदूषण तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जनों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- फलाई ऐश उत्सर्जन कम करने के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्रों को उच्च दक्ष इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) से सुसज्जित किया गया है। प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र में स्टैक (चिमनी) में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के भीतर सीमित रखने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।
- ताप विद्युत उत्पादन के लिए अति दक्ष सुपरक्रिटिकल प्रोद्योगिकी को अपनाना।

- पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार तथा पुरानी एवं अकुशल ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को हटाना।
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के अन्तर्गत, मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों में दक्षता सुधार पर लक्षित निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी), स्कीम को शुरू किया जाना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए विचार किए गए सभी ताप विद्युत केन्द्रों को, वायु गुणवत्ता संबंधी प्रभाव सहित संभावित पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन कराने अपेक्षित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4114

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र को राजसहायता

4114. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को इस समय दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र राजसहायता देने की परिपाटी और कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उपभोक्ताओं विशेषकर गरीब लोग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ हुई चर्चा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए सब्सिडी (वित्त वर्ष 2012-13) के रूप में 26100 करोड़ रूपए जारी किए हैं।

(ख) और (ग) विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रशुल्क के निर्धारण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अनुसार प्रशुल्क निर्धारण की शक्तियाँ राज्य विद्युत विनियामकों के पास हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रशुल्क में राज्य सरकारें किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी उपलब्ध करवा सकती हैं।

(घ) : संघ सरकार प्रशुल्क के निर्धारण के लिए उपभोक्ताओं के साथ कोई बातचीत नहीं करती है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक प्रशुल्क के निर्धारण से पूर्व जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4145

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पारेषण लाइनों की क्षमता

4145. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान पारेषण लाइनों की क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकार की इन पारेषण लाइनों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर क्षेत्रीय पारेषण कोरिडोर में बाधाओं के कारण गुजरात अतिरिक्त विद्युत को विद्युत की कमी वाले राज्यों में आपूर्ति करने में असमर्थ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत के अतिरिक्त उत्पादन वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों में अतिरिक्त विद्युत के पारेषण हेतु केन्द्र सरकार की कोई योजना है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से पर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय पारेषण संपर्क के सृजन हेतु विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) में पड़ी निधियों के उपयोग हेतु निवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का उक्त प्रयोजन हेतु (पीएसडीएफ) का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में 220 केवी और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर पारेषण लाइनों के कुल सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) दिनांक 30.06.2014 तक 2,94,621 सीकेएम है।

(ख) : पारेषण लाइनों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के विनियामकों/मानकों के अनुसार, जहां भी स्वीकार्य हो, अपनी पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, कुल मामलों में, पारेषण लाइनों की लोजिंग पर वोल्टेज स्थापित्व, एंगुलर स्टेविलिटी, लूप फ्लो, भार प्रवाह पद्धति और ग्रिड में सबसे कमजोर लिंक की लोजिंग को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(ग) : वर्तमान में, विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से भिन्न-भिन्न लाभग्राही राज्यों तक दीर्घावधि आबंटित विद्युत के स्थानान्तरण के लिए अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली में कोई अवरोध नहीं है। पारेषण प्रणाली में शेष उपलब्ध सीमा पर मध्यावधि खुली पहुंच (एमटीओए) और लघु अवधि खुली पहुंच (एसटीओए) वाले लेनदेनों की अनुमति प्रदान की जाती है। गुजरात में अन्य क्षेत्रों को विद्युत के निर्यात में मुख्य रूप से अल्पावधि बाजार में ही संकुलन का सामना किया जा रहा है।

विद्युत के आयात के लिए आकलन करना एवं योजना बनाना और विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित खुली पहुंच के प्रावधानों और सीईआरसी द्वारा अधिसूचित सम्बंधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को अन्तर्गत केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) से अन्तरक्षेत्रीय/अन्तरराज्यीय पारेषण पहुंच प्राप्त करना बिजली की कमी वाले राज्यों का उत्तरदायित्व है। गुजरात ने देश के अन्य भागों को विद्युत के निर्यात के लिए दीर्घावधि पारेषण पहुंच नहीं मांगी है। तथापि, यदि गुजरात दीर्घावधि आधार पर राज्य के बाहर अधिशेष विद्युत का विक्रय करने का इरादा रखता है तो राज्य को पहले ही दीर्घावधि खुली पहुंच प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि नई पारेषण अवसंरचना के सृजन में लगभग 3 से 4 वर्षों तक का समय लगता है।

(घ) से (च) : गुजरात सरकार ने पर्याप्त अन्तर क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सृजन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) में पड़ी निधि के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

विद्युत मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पीएसडीएफ के प्रचालनीकरण और कार्यनीतिक महत्व की पारेषण प्रणालियों के निर्माण के लिए उसमें जमा की गई निधियों के उपयोग के लिए स्कीम को अधिसूचित किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4153

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

4153. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्रीमती वीणा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं को विद्युत उत्पादन में कमी के बजाय विद्युत क्षेत्र में विभिन्न खामियों के कारण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में ऐसी खामियों की पहचान कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्र और पारेषण प्रणाली की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

ऊर्जा और व्यस्ततम विद्युत दोनों की दृष्टि से देश में विद्युत की समग्र कमी है। चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2014) के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 4.0% और 3.7% थी।

उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने में आ रही कमियों को कम करने हेतु सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

- (i) 12वीं योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना।
- (ii) विद्युत की निकासी के लिए अन्तर-राज्य और अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढीकरण के लिए एक वृहत कार्यक्रम प्रारम्भ करना।
- (iii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण और कृषि फीडर्स को पृथक करने के लिए इस वर्ष के बजट में एक नई स्कीम की घोषणा की गई है।
- (iv) कार्यान्वनाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन स्वीकृति से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान करना।
- (v) ताप संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए आयातित कोयले के माध्यम से देशी कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करना।
- (vi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।
- (vii) भारत सरकार पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- (viii) राज्य डिस्कामों को समग्र परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्वामित्व डिस्कामों की वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (एफआरपी) अनुमोदित की है और अक्टूबर, 2012 में अधिसूचित की है।
- (ix) विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार कारक में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य और केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) कार्य किए जाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4165

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

त्वांग छू नदी पर विद्युत परियोजना

4165. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का त्वांग छू नदी पर 800 मेगावाट की विद्युत परियोजना का निर्माण करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या त्वांग जलविद्युत परियोजना के लिए भूमिगत उपयोग हेतु 19.6 हेक्टेयर भूमि सहित 116 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन की आवश्यकता होगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) यदि नहीं, तो उक्त स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार त्वांग छू नदी पर त्वांग चरण-॥ नामक 800 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के लिए सहमति दी है:

परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	विकासकर्ता	केविप्रा द्वारा सहमति की तारीख
तवांग चरण-॥ जल विद्युत परियोजना	4x200=800	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी लिमिटेड	22.09.2011

(ग) और (घ) : एनएचपीसी लिमिटेड की तवांग जल विद्युत परियोजना चरण-॥ के (800 मेगावाट) के लिए भूमिगत उपयोग हेतु 19.67 हेक्टेयर सहित 116.62 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन की आवश्यकता होगी। वन भूमि जिसका परियोजना के लिए विचलन किया जाएगा, का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रम संख्या	वन भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	अवर्गीकृत राज्य वन	20.15
2.	समुदाय भूमि (वन आच्छादन सहित)	68.49
3.	निजी भूमि (वन आच्छादन सहित)	8.31
4.	भूमिगत अवसंरचना के लिए भूमि	19.67
	कुल	116.62

(ड.) से (छ) : पर्यावरण के दृष्टिकोण से परियोजना का मूल्यांकन करने के उपरांत पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों और इसके तदन्तर संशोधन, 2009 के अनुरूप कुछ शर्तों के अध्याधीन 10.06.2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4175

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी

4175. डॉ. अरुण कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में विद्युत की दयनीय स्थिति को देखते हुए विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और राज्य में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने का दायित्व राज्य का है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) जहां से राज्यों को उनका हिस्सा आबंटित किया जाता है की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

इस समय बिहार में, राज्य स्वामित्व को विद्युत केन्द्र की दोनों यूनिटें अर्थात् बरौनी टीपीएस (2x105 मेगावाट) नवीकरण और आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के चलते लम्बे समय से क्रमशः 17.03.2012 और 23.08.2006 से बंद हैं।

बिहार पूर्ण रूप से केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) हिस्से, जो 30 जून, 2014 के अनुसार 1,918 मेगावाट है, पर आश्रित है। 12वीं योजना की शेष अवधि में राज्य को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से 1,117 मेगावाट क्षमता का लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बिहार सहित राज्यों को मांग को पूरा करने के लिए विद्युत अधिप्राप्त करने की सलाह दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4176

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

अंतर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत

4176. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का अंतर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना के लिए किसी शर्त को छोड़ने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नये दिशानिर्देशों के अनुसार अन्तर/अन्तरा राज्य विद्युत परियोजनाओं से अल्पावधि और दीर्घावधि आधार पर ई-प्रोक्योर्मेंट प्लेटफार्म पर खुली संविदा मांगने के लिए राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश वितरण कम्पनियों- आंध्र प्रदेश इस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) और आंध्र प्रदेश साउर्दन पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) को निदेश दिए हैं।

आगे यह कहा गया है कि अल्पावधि आधार के अन्तर्गत, 29.05.2015 से 26.05.2016 तक की अवधि हेतु विद्युत की खरीद करने के लिए निविदाएं मंगाई जा चुकी है और दीर्घावधि आधार पर 2000 मेगावाट विद्युत की अतिरिक्त आवश्यकता अभिचिन्हित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4177

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

कोयले की कमी

4177. श्री जैदेव गल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रायलसीमा और कृष्णापत्तनम ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयले की बहुत अधिक कमी के कारण विद्युत उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में उक्त परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) के रायल सीमा (1050 मेगावाट) कोयला आधारित विद्युत संयंत्र ने कोयले की कमी के कारण अप्रैल से जून 2014 की अवधि के दौरान 7.1 मिलियन यूनिट (एमयू) (9,197 मिलियन यूनिट के कुल उत्पादन का 0.08%) की मामूली उत्पादन हानि होने की रिपोर्ट दी है। एपीजीईएनसीओ की कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना अभी तक चालू नहीं हुई है।

(ग) : आंध्र प्रदेश की उपर्युक्त परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

1. कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड से देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है।
2. कोयले की मांग और घरेलू कोयले की उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटीज को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4185

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

मार्ग में विद्युत की हानि

4185. श्री राजीव सातवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री अनंतकुमार हेगड़ेः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह

शंकररावः

श्री दुष्यंत चौटालाः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री धनंजय महाडीकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत की प्रत्येक 100 यूनिटों में से 27 यूनिट की कथित रूप से हानि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में विद्युत वितरण हानि अधिक है और चार राज्यों में यह देश के विद्युत वितरण हानियों का 60 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन हानियों से निपटने के लिए राज्यों से कदम उठाने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या निजी विद्युत वितरण कम्पनियों ने कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को काफी हद तक कम किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र वितरण कम्पनियों द्वारा उनका अनुसरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र वितरण कम्पनियों द्वारा एटी एंड सी हानियों से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं ताकि उपभोक्ताओं को वहनीय दरों पर अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य-निष्पादन पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाने वाली यूटिलिटीयों की कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (एटीएण्डसी) 25.38% हैं । राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 पर है ।

उच्च एटीएण्डसी हानियां दोनों तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कारणों से होती हैं। तकनीकी हानियां मुख्य रूप से संचालक में नष्ट हुई ऊर्जा और विद्युत के पारेषण, हस्तान्तरण, उप-पारेषण और वितरण के लिए उपयोग किए गए उपस्कर के कारण हैं। तकनीकी हानियां एक प्रणाली में निहित होती हैं और इस प्रणाली को एक निश्चित स्तर मात्र तक घटाया जा सकता है। गैर-तकनीकी कारणों में मुख्यतः अपर्याप्त मीटरिंग और डिस्कॉम की ओर से खराब बिलिंग और एकत्रीकरण दक्षताओं के साथ-साथ बिजली की चोरी का होना है।

(ख) : जी, हाँ। जैसा कि अनुबंध-1 में देखा जा सकता है, कुछ राज्यों जैसे बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू एवं कश्मीर में एटीएण्डसी हानियां (2012-13) में 50% से अधिक हैं।

(ग) : वितरण क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार करने और देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों की हानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-11** पर दिए गए हैं।

(घ) : दिल्ली में निजी वितरण कंपनियों की एटीएण्डसी हानियां जो वर्ष 2009-10 में 20.78% थीं वर्ष 2012-13 में 15.22% तक कम हो गई हैं। तथापि, उड़ीसा की निजी वितरण कंपनियों की एटीएण्डसी हानियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वर्ष 2009-10 में इन कंपनियों का औसत हानि आंकड़ा 39.70% था जबकि वर्ष 2012-13 में यह आंकड़ा 42.94% पर था।

(ङ) : इसका उत्तर उपर्युक्त भाग (ग) में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4185 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली यूटिलिटियों के लिए एटी एण्ड सी हानियां (%)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2012-13	
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.40	
		एनबीपीडीसीएल	50.76	
		एसबीपीडीसीएल	45.77	
		बिहार कुल		54.63
		झारखण्ड	जेएसईबी	47.49
		झारखण्ड कुल		47.49
	ओडिशा		सेसू	43.61
			नेसको	39.61
			सेसको	49.36
			वेसको	41.87
		ओडिशा कुल		42.94
		सिक्किम	सिक्किम पीडी	53.51
		सिक्किम कुल		53.51
		पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	34.43
		पश्चिम बंगाल कुल		34.43
पूर्वी कुल			42.06	
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	60.26	
		अरुणाचल प्रदेश कुल	60.26	
	असम	एपीडीसीएल	31.85	
		असम कुल	31.85	
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	85.49	
		मणिपुर कुल	85.49	
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	26.60	
		मेघालय कुल	26.60	
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	27.55	
		मिजोरम कुल	27.55	
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	75.30	
		नागालैंड कुल	75.30	
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	33.85	
		त्रिपुरा कुल	33.85	
	पूर्वोत्तर कुल			37.60
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	15.16	
		बीएसईएस यमुना	17.94	
		टीपीडीडीएल	13.12	
		दिल्ली कुल		15.22
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	28.31	
		यूएचबीवीएनएल	36.97	
		हरियाणा कुल		32.55
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	9.53	
		हिमाचल प्रदेश कुल		9.53
	जम्मू व कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	60.87	
		जम्मू व कश्मीर कुल		60.87
	पंजाब	पीएसपीसीएल	17.66	

	पंजाब कुल		17.66
	राजस्थान	एवीवीएनएल	19.90
		जेडीवीवीएनएल	18.97
		जेवीवीएनएल	20.91
	राजस्थान कुल		20.00
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	45.69
		केसको	37.61
		एमवीवीएन	45.83
		पश्चिम वीवीएन	33.39
		पूर्व वीवीएन	52.37
	उत्तर प्रदेश कुल		42.85
	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल पीसीएल	23.18
	उत्तराखण्ड कुल		23.18
उत्तरी कुल			28.84
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	15.64
		एपीईपीडीसीएल	9.90
		एपीएनपीडीसीएल	13.09
		एपीएसपीडीसीएल	12.74
	आंध्र प्रदेश कुल		13.63
	कर्नाटक	बेस्कॉम	20.45
		चेस्कॉम	30.42
		गेस्कॉम	18.28
		हेस्कॉम	20.44
		मेस्कॉम	14.57
	कर्नाटक कुल		20.78
	केरल	केएसईबी	10.53
	केरल कुल		10.53
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	9.13
	पुडुचेरी कुल		9.13
	तमिलनाडु	टंगैडको	20.72
	तमिलनाडु कुल		20.72
दक्षिणी कुल			17.24
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	25.12
	छत्तीसगढ़ कुल		25.12
	गोवा	गोवा पीडी	14.14
	गोवा कुल		14.14
	गुजरात	डीजीवीसीएल	10.40
		एमजीवीसीएल	14.94
		पीजीवीसीएल	30.41
		यूजीवीसीएल	14.37
	गुजरात कुल		19.87
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	29.97
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	28.16
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	36.40
	मध्य प्रदेश कुल		31.15
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.95
	महाराष्ट्र कुल		21.95
पश्चिमी कुल			23.36
सकल योग			25.38

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4185 के भाग (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में वितरण को सुधारने और विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय:

आर-एपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटीयों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आर-एपीडीआरपी का ध्यान परियोजना क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में यूटिलिटीयों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में वैद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढीकरण के लिए है।

यूटिलिटीयों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटीयों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं(एफआई)/ बैंको द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटीयों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया तैयार की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटीयों को सब्सिडी, स्वयं सतत प्रचालन के लिए ट्रांजिशन वित्तपोषण सहायता सहित इक्विटी सहायता पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारने, विनियामक अनुपालन सक्षम बनाने तथा संबंधित राज्य सरकारों पर प्रभाव डालने में सहायता करना है।

विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घाविधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वतः संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए " विद्युत अपीलीय अधिकरण " से अनुरोध किया है।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/ डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अंततः वितरण यूटिलिटीयों की लंबित राशि के बढ़ते जा रहे बकायों के निपटारे के लिए सहायता देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश

राज्य विनियामक मंच तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का समाधान किया गया है। एफओआर(विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए माडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है । माडल टैरिफ दिशानिर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है ।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है । स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं ।

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) शुरू की है। पात्रता की पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा शुरू किए गए सुधार उपायों से जुड़ी हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में की गई प्रगति से जुड़ी होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4196

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उपस्कर का आयात

4196. श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रयुक्त विद्युत उपस्कर की आयातित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में विद्युत उपस्कर चीन से आयात किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) ऐसे उपस्करों को प्रदान करने की स्थिति में नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : देश में विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए उपयोग किए गए विद्युत उपस्करों की आयातित मात्रा सामग्री परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होती है और परियोजना के प्रकार, प्रौद्योगिकी के प्रकार और यूनिट के आकार आदि पर निर्भर करती है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2014 तक कुल 24749 मे.वा. की 34 ताप विद्युत परियोजनाएं (66 यूनिटें) चीनी उपस्करों के साथ चालू की गई हैं । 12वीं योजना में लाभों के लिए कुल 100 मेगावाट क्षमता की 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आयात के ठेके दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए मुख्य संयंत्र उपस्करों की आवश्यकता को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है । कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए आंतरिक रूप से रूपान्तरित और विकसित प्रौद्योगिकियों सहित मुख्य विद्युत संयंत्र उपस्कर की विभिन्न किस्मों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त निर्माण क्षमता एवं सामर्थ्य स्थापित की है जिससे देश में इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने में सहायता प्राप्त हुई है । इस संबंध में बीएचईएल ने ताप (परमाणु ऊर्जा सहित) गैस और जल विद्युत मुख्य विद्युत संयंत्र उपस्करों और संबद्ध सहायक संस्थाओं को प्रति वर्ष 20,000 मेगावाट क्षमता प्रदान करने के लिए चरणों में अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4197

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

डब्ल्यूसीएल द्वारा कोयले की आपूर्ति

4197. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने हाल ही में आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करने पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लागत आधिक्य आधार मूल्य के अन्तर्गत "जहां है जैसा है आधार पर" 4.0 लाख टन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) और (घ) : जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गौरीडीप माईन्स से कोयले की आपूर्ति करने के लिए दिनांक 09.07.2014 को आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पोरेशन (एपीजीईएनसीओ) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4202

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निजी कंपनियां

4202. श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निजी कंपनियों की क्या भूमिका है; और

(ख) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण घरों के लिए विद्युत की पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं वास-स्थल विद्युतीकरण के सृजन के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)-कार्यक्रम" की शुरुआत की थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मॉडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। राज्यों द्वारा चयनित परियोजनाओं को राज्य यूटिलिटियों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को सौंपी जाती है। भारत सरकार द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निजी प्लेयर्स को सीधे तौर पर कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4205

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गांवों के लिए बिजली

4205. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में गांवों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत कोई अनुपूरक स्कीम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में गांवों के विद्युतीकरण हेतु राज्य-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सहित गैर-विद्युतीकृत जनगणना किए गए गांवों और वासस्थलों जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है को शामिल करने के लक्ष्य से सितम्बर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में 273 परियोजना संस्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 2,31,935 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

(ग) : आरजीजीवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार 12वीं योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत किए गए विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करने की निर्धारित अवधि, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संविदा अवार्ड करने की तिथि से 24 महीने है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4207

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है।

एनटीपीसी का विस्तार

4207. श्री अर्का केशरी देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन क्षमता को 30,000 मेगावाट से बढ़ाकर 75,000 मेगावाट करने के लिए कोई विस्तार योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनटीपीसी द्वारा देश में राज्य-वार स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं;

(घ) क्या एनटीपीसी की इस हेतु राजस्व जुटाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) एनटीपीसी (संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों सहित) की वर्तमान उत्पादन क्षमता 43,128 मेगावाट है। अन्य 22,414 मेगावाट पहले से ही निष्पादन के अधीन है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने अन्य 10,000 मेगावाट की आयोजना की है लेकिन उसे अभी अवार्ड नहीं किया है, इससे 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 75,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची अनुबंध में दी गई है।

एनटीपीसी 70:30 (ऋण:इक्विटी) के अनुपात में अपने पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करती है। बाजार से ऋण जुटाया जाता है और आंतरिक संग्रहण के माध्यम से इक्विटी उपलब्ध करवाती है।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4207 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनटीपीसी की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (संयुक्त उपक्रम एवं सहायक कंपनियों सहित)

क्रम सं.	प्रोजेक्ट	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
एनटीपीसी की परियोजनाएं				
1	बोंगईगांव	असम	कोयला	750
2	बाढ़-I	बिहार	कोयला	1980
3	बाढ़-II	बिहार	कोयला	660
4	लारा-I	छत्तीसगढ़	कोयला	1600
5	नार्थ करनपुरा	झारखण्ड	कोयला	1980
6	कोलडैम	हिमाचल प्रदेश	जल	800
7	कुडगी-I	कर्नाटक	कोयला	2400
8	विंध्याचल-V	मध्य प्रदेश	कोयला	500
9	गदरवाड़ा-I	मध्य प्रदेश	कोयला	1600
10	दालीपल्ली-I	ओडिशा	कोयला	1600
11	मौदा-II	महाराष्ट्र	कोयला	1320
12	सोलापुर	महाराष्ट्र	कोयला	1320
13	सिंगरौली सीडब्ल्यू डिस्चार्ज	उत्तर प्रदेश	जल	8
14	ऊंचाहार-IV	उत्तर प्रदेश	कोयला	500
15	सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	सोलर (पीवी)	15
16	तपोवर विष्णुगढ़	उत्तराखण्ड	जल	520
17	लता तपोवन	उत्तराखण्ड	जल	171
	उप जोड़ -			17724
सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम परियोजनाएं				
18	नबीनगर, बीआरबीसीएल	बिहार	कोयला	1000
19	मुजफ्फरपुर एक्सपै.- कांति, केवीयूएनएल	बिहार	कोयला	390
20	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	बिहार	कोयला	1980
21	मेजा, एमयूएनपीएल	उत्तर प्रदेश	कोयला	1320
	उप जोड़ -			4690
	सकल योग (मेगावाट)			22414

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4211

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

मॉडल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पॉसिबिलिटी बिल, 2013

4211. श्री आर. धुवनारायणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मॉडल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पॉसिबिलिटी बिल, 2013 तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ । इस बिल को उन राज्य सरकारों द्वारा अंगीकार एवं पारित किया जाना है जो अपने वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम (एफआरपी) में भाग ले रही है ।

(ख) : इस बिल का ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

बिल का उद्देश्य - वित्तीय पुनर्संरचना, निरंतर सहायता, कारपोरेट गवर्नेंस तथा विनियामक अनुपालनों आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसियों की दीर्घकालिक निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की जवाबदेही निर्धारित करना ।

राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने वाले राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन विवरण

दीर्घकालिक आयोजना, उपभोक्ता सुरक्षा, विनियामक अनुपालन, कारपोरेट गवर्नेंस, राज्य वितरण लाइसेंसियों के वित्तीय पुनर्गठन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत वितरण से संबंधित किए गए उपायों जिनसे राज्य वितरण लाइसेंसियों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय व्यवहार्यता को स्थाई आधार पर बनाए रखा जा सके, का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट सत्र के दौरान राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा और विवरण में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(क) स्थायित्व, एफआरपी, लेखांकन संबंधी उपायों, विनियामक अनुपालन तथा प्रशुल्क दायर करने के लिए दीर्घकालीन आयोजना तथा राज्य वितरण लाइसेंसियों के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्न-अराउंड पर संभाव्य प्रभाव डालने वाले अन्य कार्यक्रमलाप से संबंधित

	<p>आगामी वित्त वर्ष के लिए केपीआई प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की नीति एवं कार्यनीति निर्धारित करने संबंधी राज्य विद्युत वितरण कार्यनीति विवरण</p> <p>(ख) केपीआई प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताओं का निष्पादन एवं निगरानी करने के लिए, समयबद्ध कार्यक्रम रखने के लिए कार्य योजना जिसमें वास्तविक निष्पादन तथा केपीआई में विचलन को कम/न्यूनतम करने के कदम शामिल हैं।</p> <p>(ग) राज्य वितरण लाइसेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा, अनुपालन का आकलन संबंधी निष्पादन विवरण।</p>
दीर्घकालिक आयोजना	मांग, एटीएण्डसी हानि तथा विद्युत उपलब्धता का दीर्घकालिक आकलन और 6 माह के भीतर एटीएण्डसी हानि में कमी करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करना।
ऊर्जा लेखांकन	सभी 33 केवी और 11केवी फीडर्स तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा और 6 माह के भीतर इसका रोडमैप प्रस्तुत करना।
मीटरिंग	सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग के लिए समयबद्ध योजना।
राज्य सरकार अनुदान	लाभग्राहियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुदानों की अग्रिम घोषणा।
बजटीय प्रावधान	सब्सिडी के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान करना तथा प्रतिबद्ध सब्सिडी को समय पर जारी करना
सरकारी ऊर्जा देय	सरकारी विभागों को की गई विद्युत आपूर्ति के विद्युत प्रभारों के सारे बकायों का भुगतान
विशेष न्यायालय	विद्युत चोरी के मामलों के लिए 1 वर्ष के भीतर विशेष न्यायालयों का गठन करना।
भार प्रेषण केन्द्र	कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता, स्वतंत्र एवं सतत राजस्व शाखाएं और पर्याप्त जनशक्ति को सुनिश्चित करने के लिए 6 माह के भीतर भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करना एवं प्रचालित करना।
वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) के लिए बजटीय प्रावधान	एफआरपी को राज्य बजट विवरणों का एक भाग बनाया जाएगा ताकि राज्य वित्त पर इसके असर की प्रभावी निगरानी की जा सके।
लेखांकन संबंधी उपाय	राज्य वितरण लाइसेंसी के खातों में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अपेक्षित प्राप्तियों की पहचान करने, प्रावधान करने तथा राइट ऑफ करने के लिए अधिकार-प्राप्त समिति का गठन करना।
कारपोरेट गवर्नेंस	राज्य वितरण लाइसेंसी द्वारा अच्छी कारपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, कंपनी अधिनियम तथा कारपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का पालन
प्रशुल्क दायर करना	प्रशुल्क, टू-अप एवं एआरआर याचिकाएं समय पर दायर करना तथा 3 से 5 वर्षों में विनियामक परिसंपत्तियों का तीव्रता से परिसमापन
निगरानी तंत्र	अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति
अनुपालन करवाने के उपाय	अधिनियम का अनुपालन न किए जाने पर राज्य अनावंटित कोटे से विद्युत लेने के लिए अपात्र हो सकता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4215

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

4215. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) द्वारा देश में किन स्थानों पर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं और इनके क्या कार्य हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु में ऐसे और अधिक संस्थानों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) ने नौ स्थानों यथा फरीदाबाद (हरियाणा), बदरपुर (दिल्ली), नांगल (पंजाब), बंगलुरु (कर्नाटक) में दो, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), नागपुर (महाराष्ट्र), नैवेली (तमिलनाडु) तथा गुवाहाटी (असम) में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं।

ये संस्थान विद्युत क्षेत्र के ताप विद्युत, जल विद्युत, पारेषण, वितरण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रबंधन सहित मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। यह कार्य इंजीनियरों तथा पर्यवेक्षकों के लिए दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) से (घ) : 12वीं योजना अवधि के दौरान एनपीटीआई अलापुझा, केरल और शिवपुरी, मध्य प्रदेश में दो और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4216

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

4216. श्री एम.बी. राजेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पुनर्गठन के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसईबीज़ की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उन राज्यों में जहां राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन पूरा हो गया है, प्रशुल्क में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 के साथ पठित धारा 131 में राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है । इसमें आगे यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकार राज्य विद्युत बोर्ड को अधिसूचना द्वारा एक वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि, जैसा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाए, के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी अथवा लाइसेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए अधिकृत कर सकती है । सभी 21 राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों को पुनर्गठित किया गया है।

(ग) : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) को विद्युत मंत्रालय ने एसईबी के पुनर्गठन के प्रभाव पर अध्ययन का कार्य प्रदान किया था । अध्ययन का निष्कर्ष था कि "कुछेक कमियों के बावजूद, पुनर्गठन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है तथा सही दिशा में है ।"

(घ) : प्रशुल्क का देरी से संशोधन, अपर्याप्त प्रशुल्क वृद्धि, एटीएण्डसी की अधिक हानियां इत्यादि राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारण हैं । डिस्काम जैसी अनबंडल्ड यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि इन डिस्काम ने प्रशुल्क की पर्याप्तता, एटीएण्डसी हानियों आदि के मुद्दों का कितना अच्छा समाधान किया है ।

राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन संबंधी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) की वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान की रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 से 2012-13 के दौरान की रिपोर्ट में शामिल सभी यूटिलिटीयों द्वारा उठाई गई समग्र हानियों की प्रवृत्ति इस प्रकार है:-

(रूपये करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13
उपार्जित आधार पर कर के पश्चात लाभ/(हानि)	(52,569)	(72,381)	(68,085)
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	(54,953)	(76,633)	(68,964)

(ङ) : राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) द्वारा वितरण कंपनियों के प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तैयार किए गए सिद्धांतों तथा उनके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के आधार पर किया जाता है । सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, वर्ष 2007 से 2014 तक के लिए 4 किलोवाट संस्वीकृत भार तथा 400 किलोवाट घंटा प्रति माह की खपत के घरेलू उपभोक्ता प्रशुल्क की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है ।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4216 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2007 से 2014 तक घरेलू उपभोक्ताओं (4 केडब्ल्यू, 400 केडब्ल्यूएच/माह) के लिए विद्युत की अनुमानित औसत दरों में वृद्धि

(पैसे/केडब्ल्यूएच में)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	घरेलू																			
		2007-08		2008-09		% में वृद्धि	2009-10		% में वृद्धि	2010-11		% में वृद्धि	2011-12		% में वृद्धि	2012-13		% में वृद्धि	2013-14 *		% में वृद्धि
1	आंध्र प्रदेश	396.63		396.63		0.00	396.63		0.00	396.63		0.00	415.38		4.73	470.38		13.24	572.00		21.60
2	असम	411.50		421.50		2.43	441.50		4.74	441.50		0.00	466.50		5.66	466.50		0.00	556.90		19.38
3	बिहार	294.05		321.98		9.50	321.98		0.00	321.98		0.00	385.58		19.75	400.15		3.78	446.53		11.59
4	छत्तीसगढ़	238.50		239.53		0.43	230.63		-3.72	235.63		2.17	295.00		25.20	413.75		40.25	348.30		-15.82
5	गुजरात	462.00	यू	465.00	यू	0.65	554.83	यू	19.32	475.50	यू	-14.30	475.50	यू	0.00	478.69		0.67	511.75	यू	6.91
		368.50	आर	374.00	आर	1.49	463.83	आर	24.02	385.00	आर	-17.00	385.00	आर	0.00	408.50		6.10	439.41	आर	7.57
6	हरियाणा	410.05		415.05		1.22	422.10		1.70	384.25		-8.97	404.55		5.28	486.38		20.23	531.25		9.23
7	हिमाचल प्रदेश	263.50		290.88		10.39	282.61		-2.84	193.13		-31.66	239.48		24.00	239.48		0.00	291.62		21.77
8	जम्मू व कश्मीर	188.88		203.09		7.52	203.09		0.00	234.58		15.51	258.34		10.13	292.60		13.26	290.25		-0.80
9	झारखण्ड	183.00		163.50		-10.66	163.50		0.00	185.50		13.46	249.00		34.23	301.50		21.08	301.50		0.00
10	कर्नाटक	418.30	डी	418.29	डी	0.00	449.79	डी	7.53	449.79	डी	0.00	476.96	डी	6.04	531.30		11.39	561.54	डी	5.69
		381.55	एफ	381.54	एफ	0.00	418.29	एफ	9.63	418.29	एफ	0.00	430.50	एफ	2.92	480.38		11.59	510.13	एफ	6.19
11	केरल	398.89		398.89		0.00	398.89		0.00	398.89		0.00	398.89		0.00	541.75		35.81	625.00		15.37
12	मध्य प्रदेश	442.25	यू	454.13	यू	2.69	562.19	यू	23.79	649.02	यू	15.44	657.47	यू	1.30	699.75		6.43	654.80	यू	-6.42
		430.38	आर	430.38	आर	0.00	526.56	आर	22.35	625.27	आर	18.75	634.92	आर	1.54	663.11		4.44	637.89	आर	-3.80
13	महाराष्ट्र	422.57		443.36		4.92	445.40		0.46	505.49		13.49	505.49		0.00	676.84		33.90	709.65		4.85
14	मेघालय	246.25		356.25		44.67	352.50		-1.05	298.75		-15.25	298.75		0.00	340.00		13.81	367.50		8.09
15	ओडिशा	247.00		247.00		0.00	247.00		0.00	319.80		29.47	367.90		15.04	425.10		15.55	445.90		4.89
16	पंजाब	374.15		404.63		8.15	447.25		10.53	478.27		6.94	519.52		8.62	589.86		13.54	708.51		20.11
17	राजस्थान	396.88	यू	396.88	यू	0.00	396.88	यू	0.00	396.88	यू	0.00	480.63		21.10	556.88		15.86	571.88		2.69
		363.81	आर	363.81	आर	0.00	363.81	आर	0.00	363.81	आर	0.00			-100.00						
18	तमिलनाडु	216.25		216.25		0.00	216.25		0.00	367.50		69.94	367.50		0.00	341.88		-6.97	445.63		30.35
19	उत्तर प्रदेश	359.00	यू	384.00	यू	6.96	384.00	यू	0.00	436.50	यू	13.67	436.50	यू	0.00	432.50		-0.92	505.00	यू	16.76
		209.00	आर	124.00	आर	-40.67	124.00	आर	0.00	124.00	आर	0.00	124.00	आर	0.00	120.00		-3.23	275.00	आर	129.17
20	उत्तराखण्ड	215.00		218.75		1.74	218.75		0.00	265.00		21.14	280.00		5.66	300.00		7.14	317.75		5.92
21	पश्चिम बंगाल	406.43	यू	406.43	यू	0.00	434.66	यू	6.95	570.83	यू	31.33	570.83	यू	0.00	711.44		24.63	741.04	यू	4.16
		391.49	आर	391.49	आर	0.00	422.36	आर	7.89	557.69	आर	32.04	557.69	आर	0.00	698.54		25.26	727.88	आर	4.20
22	अरुणाचल प्रदेश	211.88		379.50		79.11	345.00		-9.09	360.00		4.35	380.00		5.56	400.00		5.26	400.00		0.00
23	गोवा	170.75		188.00		10.10	186.75		-0.66	186.75		0.00	186.75		0.00	211.50		13.25	211.50		0.00

24	मणिपुर	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00	339.70	13.35	339.70	0.00	372.20	9.57	422.20	13.43
25	मिजोरम	247.50	247.50	0.00	360.00	45.45	370.00	2.78	370.00	0.00	410.00	10.81	415.00	1.22
26	नागालैंड	310.25	319.25	2.90	319.25	0.00	319.25	0.00	416.63	30.50	494.00	18.57	480.25	-2.78
27	सिक्किम	266.06	266.06	0.00	266.06	0.00	266.06	0.00	266.06	0.00	266.06	0.00	335.63	26.15
28	त्रिपुरा	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	574.00	57.26	730.00	27.18
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	275.00	342.50	24.55	342.50	0.00	342.50	0.00	342.50	0.00	397.50	16.06	397.50	0.00
30	चंडीगढ़	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	325.25	6.99	357.75	9.99	357.75	0.00
31	दादर व नागर हवेली	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	254.38	47.47	187.50	-26.29	187.50	0.00
32	दमन एवं दीव	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	254.38	47.47	182.50	-28.26	192.50	5.48
33	दिल्ली (बीवाईपीएल/बीआरपी एल/एनडीपीएल)	346.50	351.75	1.52	351.75	0.00	351.75	0.00	429.19	22.02	472.50	10.09	535.50	13.33
34	दिल्ली (एनडीएमसी)	252.25	254.10	0.73	254.10	0.00	254.10	0.00	322.88	27.07	393.75	21.95	420.00	6.67
35	लक्षद्वीप	300.00	221.88	-26.04	221.88	0.00	221.88	0.00	221.88	0.00	290.63	30.99	293.13	0.86
36	पुडुचेरी	113.75	113.75	0.00	113.75	0.00	128.75	13.19	128.75	0.00	142.50	10.68	227.50	59.65
37	टॉरेंट पावर लि. (अहमदाबाद)	399.26	408.04	2.20	493.04	20.83	419.74	-14.87	449.23	7.03	459.64	2.32	473.66	3.05
38	टॉरेंट पावर लि. (सूरत)	-	-	-	-	-	439.50	-	458.25	4.27	468.75	2.29	477.97	1.97
39	सेसको लि. (कोलकाता)	462.48	462.48	0.00	496.98	7.46	552.12	11.10	552.12	0.00	673.83	22.04	714.65	6.06
40	डीपीएससी लि. (पश्चिम बंगाल)	-	-	-	-	-	385.12	-	385.12	0.00	385.12	0.00	458.82	19.14
41	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. (पश्चिम बंगाल)	254.93	254.93	0.00	299.61	17.53	325.74	8.72	325.74	0.00	434.91	33.51	497.73	14.44
42	मुम्बई (बी.ई.एस.टी.)	317.59	327.85	3.23	523.59	59.70	412.05	-21.30	412.05	0.00	464.42	12.71	664.75	43.14
43	मुम्बई (रिलायंस एनर्जी)	449.24	494.14	9.99	558.34	12.99	690.70	23.71	690.70	0.00	690.70	0.00	805.05	16.56
44	मुम्बई (टाटा पावर)	444.52	444.52	0.00	370.01	-16.76	326.66	-11.72	326.66	0.00	326.66	0.00	491.39	50.43

टी : बंगलौर, दावनगरे एवं अन्य शहर म्युनिसिपल कारपोरेशन

* - अर्न्तम

एफ : ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र यू : शहरी आर : ग्रामीण

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अधिसूचित प्रशुल्कों में सत्यापन पैरामीटर हैं। उपर्युक्त तुलना एक माह में कुछ कल्पित भारों और विद्युत खपत स्तरों पर आधारित।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4242

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत का उत्पादन

4242. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड में कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण तेलंगाना के रामगुण्डम विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत संयंत्र को कोयला-आपूर्ति के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : रामगुण्डम विद्युत संयंत्र सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के अतिरिक्त महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयला प्राप्त करता है । एनटीपीसी एमसीएल और एसईसीएल से आपूर्तियों की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात भी करता है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4249

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत-प्रशुल्क में वृद्धि

4249. श्री हरिंदर सिंह खालसा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विद्युत-प्रशुल्क में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सीएजी अधिनियम, 1971 की धारा 20(3) के अनुसार, लोकहित में ईंधन-आपूर्ति कंपनियों, विद्युत-उत्पादक कंपनियों और विद्युत पारेषण कंपनियों की लेखा-परीक्षा के आदेश देने का विचार है, ताकि उच्च विद्युत-प्रशुल्क का औचित्य सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने 17 जुलाई, 2014 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के औसत विद्युत प्रशुल्क बढ़ा दिया है। डीईआरसी के अनुसार, प्रशुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुई है:-

(i) विद्युत की प्रक्षेपित लागत में वृद्धि, और

(ii) संचित राजस्व अन्तर की प्रभावी लागतों को पूरा करने के साथ-साथ संचित राजस्व अन्तर की मूल राशि के एक हिस्से के क्रमिक परिसमापन के लिए निधियों का प्रावधान।

(ग) से (ड.) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीओएनसीटीडी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में, इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड और प्रगति पावर कम्पनी लिमिटेड उत्पादक कम्पनियां हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपक्रम हैं। इसी प्रकार, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (ट्रांसमिशन कम्पनी) भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने संगत प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियों की लेखा-परीक्षा की जाती हैं। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर सीएजी ने दिल्ली की संयुक्त उद्यम निजी वितरण कम्पनियों की लेखा परीक्षा की हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4251

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

गंगा पर जल-विद्युत परियोजनाएं

4251. योगी आदित्यनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की सहायता से पवित्र गंगा नदी पर कुछ जल-विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गंगा नदी पर निर्माणाधीन या प्रस्तावित जल-विद्युत परियोजनाओं का स्थानीय जैविक परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा और इसकी सहायक नदियों पर वर्तमान समय में 3540 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की नौ जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीएस) (25 मेगावाट से अधिक) क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	निर्माणाधीन परियोजना	4	2135
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मंजूर तथा जिनका अभी निर्माण	4	1297

	किया जाना है।		
3.	जांच के अधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस)	1	108
	कुल	9	3540

उपर्युक्त जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.08.2013 के निर्णय के अनुसार पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) को एक विशेषज्ञ निकाय (ईबी) गठित करने का निदेश दिया है। यह निकाय विस्तृत अध्ययन करेगा कि क्या मौजूदा और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय हास का कारण बनी हैं, यदि ऐसा है तो यह किस सीमा तक हुआ है और यह भी क्या इस प्रकार की परियोजनाओं का जून 2013 में उत्तराखंड में हुई त्रासदी में योगदान है। प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के अलकनंदा और भगीरथी नदी घाटियों में जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने का भी निदेश दिया गया है।

तदनुसार, उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार अध्ययन किए जाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन ने 15 सदस्यों वाले एक विशेषज्ञ निकास (ईबी) का गठन किया तथा डॉ० रवि चोपड़ा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। इस विशेषज्ञ निकाय ने 16.04.2014 को अपनी रिपोर्ट एमओईएफएण्डसीसी को सौंप दी है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का प्रतिनिधित्वकर रहे दो सदस्यों ने भिन्न विचारों सहित एक अलग रिपोर्ट सौंपी है। ये दोनों रिपोर्टें 07.05.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन निदेशालय को दोनों रिपोर्टों की जांच करके न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित और उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इन दोनों रिपोर्टों को आईआईटीएस की एक कंसोर्टियम को भेज दिया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4251 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर केंद्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन के अधीन (25 मेगावाट से अधिक) जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

	स्टेशन	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एजेंसी
क	निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं			
1	तपोवन विष्णुगाड	धौलीगंगा	520	एनटीपीसी
2	टिहरी पीएसएस	भागीरथी	1000	टीएचडीसी
3	लता तोपवन	धौलीगंगा	171	एनटीपीसी
4	विष्णुगाड पीपलकोटि	अलकनंदा	444	टीएचडीसी
	उप-जोड़		2135	
ख	सीईए द्वारा स्वीकृत किया गया और अभी निर्माण के लिए लिया जाना है			
1	कोटलीभेल-IA	भागीरथी	195	एनएचपीसी
2	कोटलीभेल-IB	अलकनंदा	320	एनएचपीसी
3	कोटलीभेल-II	गंगा (भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद)	530	एनएचपीसी
4	देवसरी	पिंडर	252	एसजेवीएनएल
	उप-जोड़		1297	
ग	डीपीआर परीक्षाधीन			
1	जेलम टमक	धौलीगंगा	108	टीएचडीसी
	उप-जोड़		108	
	सकल योग		3540	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4255

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन लागत

4255. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री भीमराव बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत और उपभोक्ताओं के लिए इसके अधिकतम विक्रय-मूल्य में भारी अंतर है;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत-उत्पादन की अनुमानित औसत लागत कितनी है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय-मूल्य लागत कितनी है;
- (घ) क्या सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो विद्युत उत्पादक विनिर्धारित दर पर विद्युत का विक्रय नहीं करेंगे उन्हें गैस आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2010 से 2013 के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों (नाभिकीय सहित) से विद्युत यूटिलिटीयों को विद्युत की बिक्री की अखिल भारतीय औसत दर तथा उपभोक्ता को आपूर्ति की औसत लागत (पीसीएफ रिपोर्ट "रिपोर्ट ऑन द परफार्मेंस ऑफ द स्टेट पावर यूटिलिटीज" के अनुसार) नीचे दी गई है :

भारत में विद्युत उत्पादन की लागत तथा उपभोक्ता को आपूर्ति की औसत लागत

वर्ष	विद्युत केन्द्र से विद्युत की बिक्री की अखिल भारतीय औसत दर (नाभिकीय सहित (रू./केडब्ल्यूएच)	पीएफसी रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति की औसत लागत (रू./केडब्ल्यूएच)	अंतर
(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (ग) - (ख)
2010-11	2.88	3.97	1.09
2011-12	2.97	4.39	1.42
2012-13	3.17	5.01	1.84

यद्यपि, कॉलम (ख) में दर्शायी गई औसत दर में वितरण यूटिलिटी द्वारा एटीएंडसी हानियों, वितरण की लागत आदि पर खर्च की गई अन्य लागत शामिल नहीं हैं।

(ख) : वर्ष 2013-14 के लिए उत्पादन की लागत तथा उत्पादन केंद्र से विद्युत यूटिलिटियों अथवा उपभोक्ताओं को वितरण के लिए विद्युत बिक्री की दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये आंकड़े कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जिनमें अधिकांशतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लगभग छः से सात माह का समय लगता है।

(ग) : वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्तों को बेची गई विद्युत का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य **अनुबंध** पर संलग्न है।

(घ) और (ङ) : इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :

- (i)** प्रति यूनिट उत्पादन के लिए अपेक्षित ईंधन की लागत को घटाने को ध्यान में रखते हुए ताप विद्युत उत्पादन में और अधिक दक्ष सुपर क्रिटिकल टेक्नॉलाजी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- (ii)** कोयले से संचालित केंद्रों के लिए ईंधन की लागत कम करने के उद्देश्य के साथ ही साथ ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कैप्टिव कोल माइनिंग को प्रोत्साहित करना।
- (iii)** प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए पुराने/ठीक निष्पादन न करने वाले ताप तथा जल विद्युत केंद्रों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण।
- (iv)** उन मौजूदा परियोजनाओं, जहाँ राज्य नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी की पहचान विकासकर्ता के तौर पर की गई है, के विस्तार के मामलों को छोड़कर, 06.01.2006 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति वितरण लाइसेंस घटकों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर विद्युत के प्रापण को अनिवार्य बनाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी सभी नई उत्पादन परियोजनाओं के प्रशुल्क का निर्णय 5 जनवरी, 2011 के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाना है।
- (v)** पैमाने की किफायत के कारण पूँजीगत लागत को कम करने हेतु उच्च यूनिट आकार/संयंत्र क्षमता को बढ़ावा देना।
- (vi)** पैमाने की किफायत का लाभ उठाने हेतु प्रशुल्क आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना की पहल।
- (vii)** विद्युत मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2009 में जारी की गई संशोधित मेगा विद्युत परियोजना नीति जिसके तहत कुछ विशिष्ट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन उपस्करों के लिए सीमा शुल्क के भुगतान पर छूट है तथा कुछ श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए उत्पाद शुल्क में भी छूट दी गई है।
- (viii)** विद्युत के प्रापण हेतु प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रतिस्पर्धा प्रशुल्क की खोज की गई है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रचालनात्मक मानकों में सुधार के परिणामस्वरूप प्रशुल्क में कमी आयी

है। नई ताप विद्युत परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल टेक्नॉलाजी के प्रयोग की शुरुआत के परिणामस्वरूप ईंधन की बचत, सीओ₂, एनओएक्स, एसओ₂ तथा पार्टिकुलर उत्सर्जन आदि में कमी आएगी।

- (ix)** राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अन्य कदमों के साथ ही साथ 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को 15% से नीचे तक कम करने के लिए संघ सरकार द्वारा जुलाई, 08 में चलाया गया पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम में धारणीय हानि कमी के रूप में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन तथा एक्यूरेट बेस लाइन डाटा के धारणीय एकत्रीकरण के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणाली की स्थापना पर जोर दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 07.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4255 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न कल्पित स्वीकृत भार/खपत स्तर पर देश में विद्युत की अधिकतम एवं न्यूनतम प्रभावी दरों का श्रेणी-वार ब्यौरा						
क्रम सं.	श्रेणी	भार/खपत	अधिकतम (पी/केडब्ल्यूएच)	राज्य/यूटिलिटी	न्यूनतम (पी/केडब्ल्यूएच)	राज्य/यूटिलिटी
1	घरेलू	1 केडब्ल्यू(100 यूनिट/माह)	583	राजस्थान	120	पुडुचेरी
2		2 केडब्ल्यू(200 यूनिट/माह)	677	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	135	पुडुचेरी
3		4 केडब्ल्यू(400 यूनिट/माह)	805	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	188	दादर व नागर हवेली
4		6 केडब्ल्यू(600 यूनिट/माह)	951	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	208	दादर व नागर हवेली
5		8 केडब्ल्यू(800 यूनिट/माह)	1061	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	219	दादर व नागर हवेली
6		10 केडब्ल्यू(1000 यूनिट/माह)	1127	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	225	दादर व नागर हवेली
7	कामर्शियल	2 केडब्ल्यू(300 यूनिट/माह)	1123	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	200	झारखण्ड (नियामक क्षेत्र)
8		5 केडब्ल्यू(750 यूनिट/माह)	1127	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	290	दादर व नागर हवेली
9		10 केडब्ल्यू(1500 यूनिट/माह)	1233	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	295	दादर व नागर हवेली
10		20 केडब्ल्यू(3000 यूनिट/माह)	1286	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	298	उत्तर प्रदेश (नियामक क्षेत्र)
11		30 केडब्ल्यू(4500 यूनिट/माह)	1530	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	298	उत्तर प्रदेश (नियामक क्षेत्र)
12		40 केडब्ल्यू(6000 यूनिट/माह)	1530	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	298	उत्तर प्रदेश (नियामक क्षेत्र)
13		50 केडब्ल्यू(7500 यूनिट/माह)	1530	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	298	उत्तर प्रदेश (नियामक क्षेत्र)
14	कृषि	2 एचपी (400 यूनिट/माह)	659	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (17.00 बजे से 23.00 बजे)	0	कर्नाटक और तमिलनाडु
15		3 एचपी (600 यूनिट/माह)	659	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (17.00 बजे से 23.00 बजे)	0	कर्नाटक और तमिलनाडु
16		5 एचपी (1000 यूनिट/माह)	659	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (17.00 बजे से 23.00 बजे)	0	कर्नाटक और तमिलनाडु
17		10 एचपी (2000 यूनिट/माह)	659	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (17.00 बजे से 23.00 बजे)	0	कर्नाटक और तमिलनाडु
18	लघु उद्योग	5 केडब्ल्यू(750 यूनिट/माह)	1053	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	292	मणिपुर
19		10 केडब्ल्यू(15000 यूनिट/माह)	1035	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	292	मणिपुर
20		15 केडब्ल्यू(22500 यूनिट/माह)	1035	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	292	मणिपुर
21	मध्यम उद्योग	50 केडब्ल्यू(7500 यूनिट/माह)	1165	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	318	दादर व नागर हवेली
22		100 केडब्ल्यू(15000 यूनिट/माह)	1165	महाराष्ट्र - मुम्बई (बी.एस.ई.टी)	335	मिजोरम
23	11 केवी पर बड़े उद्योग	250 केडब्ल्यू 40% एलएफ (73000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम
24		250 केडब्ल्यू 60% एलएफ (109500 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम
25		500 केडब्ल्यू 40% एलएफ (146000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम
26		500 केडब्ल्यू 60% एलएफ	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम

27		(219000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)					
		1000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (292000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम	
28		1000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (438000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम	
29		5000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (1460000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम	
30		5000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (2190000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम	
31		10000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (2920000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम	
32		10000 केडब्ल्यू 60% LF (4380000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम	
33		20000 केडब्ल्यू 40% LF (5840000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1100	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	362	मिजोरम	
34		20000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (8760000 यूनिट/माह) (11 केवी पर)	1072	महाराष्ट्र - मुम्बई - (रिलायंस एनर्जी)	351	मिजोरम	
35	33 केवी पर बड़े उद्योग	5000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (1460000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	921	पंजाब	340	अरुणाचल प्रदेश	
36		5000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (2190000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	872	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (1700 - 2300 बजे)	340	अरुणाचल प्रदेश	
37		10000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (2920000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	921	पंजाब	340	अरुणाचल प्रदेश	
38		10000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (4380000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	872	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (1700 - 2300 बजे)	340	अरुणाचल प्रदेश	
39		20000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (5840000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	921	पंजाब	340	अरुणाचल प्रदेश	
40		20000 केडब्ल्यू 60% एलएफ(8760000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	872	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (1700 - 2300 बजे)	340	अरुणाचल प्रदेश	
41		50000 केडब्ल्यू 40% एलएफ (14600000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	921	पंजाब	340	अरुणाचल प्रदेश	
42		50000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (21900000 यूनिट/माह) (33 केवी पर)	872	पश्चिम बंगाल-डीपीएससी लि. (1700 - 2300 बजे)	340	अरुणाचल प्रदेश	
43		पावर इंटेसिव इण्डस्ट्रीज	50000 केडब्ल्यू 60% एलएफ (21900000 यूनिट/माह)	767	पंजाब	325	अरुणाचल प्रदेश
44			50000 केडब्ल्यू 80% एलएफ (29200000 यूनिट/माह)	754	पंजाब	325	अरुणाचल प्रदेश
45	रेलवे ट्रेक्शन	12500 केडब्ल्यू(2500000 यूनिट/माह)	936	पंजाब (132 केवी पर)	408	पश्चिम बंगाल - डीवीसी (132 केवी पर)	

(स्रोत: सीईए)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4269

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्धन

4269. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा तैयार योजना ने 2013-14 के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता वर्धन 60,000 मेगावाट के लक्ष्य को घटाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 88,537 मेगावाट का उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2013-14 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 18,432.3 मेगावाट था । ये लक्ष्य योजना आयोग द्वारा संशोधित नहीं किए गए हैं।

(ग) : विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) निरन्तर स्थल दौरों और विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी कर रहा है । इसके अतिरिक्त, सीईए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और परियोजनाओं के चालू होने के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है और उनका समाधान करने में सहायता करता है ।
2. विद्युत मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद चालू की जाने वाली संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी के लिए विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया है ।
3. मुश्किल क्षेत्रों की पहचान करने और अन्तर मंत्रालयी और अन्य बकाया मामलों के शीघ्र समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं जिनमें भारी उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय शामिल हैं ।
